

✽ चतुर्थ अध्याय ✽

‘कितने पाकिस्तान’ उपन्यास में सांप्रदायिकता

* चतुर्थ अध्याय *

कितने पाकिस्तान: उपन्यास में चित्रित सांप्रदायिकता ।

प्रस्तावना

- 4.1 धर्म की परिभाषा
- 4.2 सांप्रदायिकता का अर्थ
- 4.3 परिभाषा
- 4.4 सांप्रदायिकता के कारण
 - 4.4.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
 - 4.4.2 राजनीतिक स्वार्थ
 - 4.4.3 धार्मिक कट्टरता
 - 4.4.4 सांप्रदायिक संगठन
 - 4.4.5 मनोवैज्ञानिक कारण
 - 4.4.6 सांस्कृतिक भिन्नता
 - 4.4.7 स्वार्थांध अराजक तत्व
 - 4.4.8 धर्म -निरपेक्षता की नीति
 - 4.4.9 अन्य कारण
- 4.5 कितने पाकिस्तान में चित्रित सांप्रदायिकता
 - 4.5.1 आर्यों का आगमन
 - 4.5.2 बाबर कालीन सांप्रदायिकता
 - 4.5.3 सत्रहवीं सदी में चित्रित सांप्रदायिकता
 - 4.5.4 औरंगजेब का राजत्व सिद्धांत

- 4.5.5 शिया और सुन्नी में संघर्ष
 - 4.5.6 औरंगजेब की धर्माधता
 - 4.6 औरंगजेब की हिंदू धर्म के प्रती उदासिनता
 - 4.6.1 जाजिया टैक्स
 - 4.6.2 मंदिरों की तोड़-फोड़
 - 4.6.3 धर्मांतरण
 - 4.7 दारा का हिंदू -परस्त रूप
 - 4.8 गुय तेग बहादूर का धर्म के लिए बलिदान
 - 4.9 अंग्रेजों का भारत प्रवेश
 - 4.10 1857 का क्रांति-दौर
 - 4.11 लॉर्ड मेकॉलो (अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली)
 - 4.12 सर सैय्यद अहमद खाँ का योगदान
 - 4.13 शायर इकबाल का योगदान
 - 4.14 बंगाल विभाजन
 - 4.15 मुस्लिम लीग का उदय
 - 4.16 काँग्रेस - लीग समझौता
 - 4.17 भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास
 - 4.18 भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगे
- निष्कर्ष

* चतुर्थ अध्याय *

कितने पाकिस्तान: उपन्यास में चित्रित सांप्रदायिकता ।

कमलेश्वर कृत 'कितने पाकिस्तान' यह उपन्यास बृहद भी है और बहुआयामी भी। उपन्यास का सूत्रधार स्वयं अरीब है। कमलेश्वर ने उपन्यास में आर्यों के आगमन, अंग्रेज, पोर्तुगाल, डच, फ्रेंच आदि का हिंदुस्तान में आगमन, मुगल सत्ता की भारत में नींव डालने वाले बाबर का आगमन आदि पर प्रकाश डाला है। साथ में 'कितने पाकिस्तान' नामक प्रतीकात्मक शीर्षक द्वारा लोगों की अलगाववादी भावना को रेखांकित किया है। धर्म के नाम पर निर्माण हो रहे पाकिस्तानों को चित्रित किया है।

कमलेश्वर ने 'कितने पाकिस्तान' के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी समस्या 'सांप्रदायिकता' को चित्रित किया है। सांप्रदायिकता की शुरुआत तो आर्यों के आगमन के बाद हुई थी। सत्रहवीं सदी में इसका प्रचलन अधिक मात्रा में हुआ, जब मुगल सत्ता का सर्वेसर्वा औरंगजेब था। आगे ब्रिटिश सत्ता के काल में भी 'सांप्रदायिकता' को विशेष महत्त्व दिया गया। सांप्रदायिकता की परिभाषा तथा अर्थ देखने से पहले सांप्रदायिकता का मूल आधार- 'धर्म' (Religion) के बारे में जानना जरूरी है। जब तक हम 'धर्म' की परिभाषा नहीं जानते तब तक सांप्रदायिकता को जानना निरर्थक है।

4.1 धर्म की परिभाषा

'धर्म' शब्द को धर्म दार्शनिकों ने अनेक अर्थों में प्रयुक्त किया है। इसलिए धर्म की कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं दी जा सकती। धर्म अंग्रेजी शब्द 'रिलीजन' का पर्यायवाची शब्द है। वास्तव में दोनों को पर्यायवाची शब्द मानना सही नहीं है। एक विद्वान ने रिलीजन शब्द को लतीनी भाषा के शब्द रेले गैर (relegare) शब्द के साथ जोड़ा है, जिसका अर्थ है फिर से पढ़ना। सामान्यतः विद्वानों ने रिलीजन शब्द को लतीनी भाषा के दो शब्दों से बना माना है - (re) जिसका अर्थ 'पुनः' या 'पीछे' है और लिगारे (ligare) जिसका अर्थ है 'बांधता है'। अतः धर्म वह है जो मनुष्य को ईश्वर से और ईश्वर को मनुष्य से पुनः बांधता है।

संस्कृत शब्द धर्म 'धृ' धातु से बना है जिसका अर्थ है- धारण करना, आलंबन देना, पालन करना इत्यादि। तो धर्म का शाब्दिक अर्थ हुआ धर्म वह है जो धारण किया जाए। इस व्युत्पत्ति से 'रिलीजन' शब्द में यदि सर्वोच्च सत्ता और मानव से पुनः संबंध स्थापना पर जोर दिया जाता है, तो धर्म में व्यक्ति की उपलब्धि या कर्तव्य या आचरण पक्ष पर अधिक जोर (बल) दिया जाता है।

कुछ पाशात्य तथा भारतीय विद्वानों धर्म की दी हुई परिभाषा निम्नलिखित है -

(1) आलफ्रेड नार्थ व्हाइटहेड

इस पाशात्य विद्वान ने धर्म की परिभाषा इस प्रकार की है - “धर्म सामान्य सच्चाइयों का एक सिद्धांत या धारणा है जिसमें चरित्र को बदलने की शक्ति तथा प्रभाव होता है, जब वे सच्चाइयाँ सरल-रूप से और गंभीरता से अपनाई जाती हैं।”¹

(2) जर्मन विद्वान हेगल की परिभाषा

“धर्म ईश्वरीय सत्ता का ज्ञान है, जो समीप आत्मा को प्राप्त होता है।”²

(3) मेथ्यू ऑरनॉल्ड

“धर्म वह नैतिकता है जो मनोभावों द्वारा स्पंदित होती है।”

(4) विद्वान लेखक पा.वा.काणे ने अपने ‘धर्मशास्त्र के इतिहास’ के प्रथम भाग पृष्ठ 3-4 में धर्म के विभिन्न अर्थ प्रस्तुत किए हैं

1) “ऋग्वेद” में सामान्यतः ‘धर्म’ धार्मिक विधियों या धार्मिक अनुष्ठानों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

2) अर्थववेद :- ‘धर्म’ शब्द का प्रयोग। ‘धार्मिक क्रिया संस्कार करने से अर्जित गुण के अर्थ में हुआ है।’

(5) आचार्य रामचंद्र शुक्ल

इन्होंने अपनी पुस्तक 'चितामणी' में धर्म की परिभाषा दी है :- "धर्म है ब्रह्म के सत् स्वरूप की प्रवृत्ति जिसकी असीमता का आभास अखिल विश्व स्थिति में मिलता है।" उपर्युक्त परिभाषा को देखने के बाद हम कह सकते हैं कि धर्म मानव की विशिष्ट मनोदशा या अभिवृत्ति है जो उसके सर्वांगीण जीवन को प्रभावित करती है। और धर्म का आधार आस्था है, न कि तर्क और धर्मचारी अलौकिक या अध्यात्मिक सत्ता के अस्तित्व में आस्था रखता है।

इस तरह धर्म की परिभाषा जानने के बाद सांप्रदायिकता का अर्थ परिभाषा तथा धारणा आदि को समझना जरूरी है।

4.2 सांप्रदायिकता, अर्थ

अनेक व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि सांप्रदायिकता अथवा संप्रदायवाद वह भावना है जो धर्म संस्कृति भाषा, क्षेत्र तथा प्रजाति की भिन्नता के आधार पर एक समूह को दूसरे से पृथक् रहने तथा उसका विरोध करने की प्रेरणा देती है। वास्तविकता यह है कि संप्रदायवाद में संस्कृति, भाषा तथा क्षेत्र के पृथकरण का कोई महत्त्व नहीं होता। भारत में सांप्रदायिकता की धारणा पूर्णतया धार्मिक अंध-भक्ति से ही संबंधित है। यह एक ऐसी उग्र भावना है जिसमें एक धर्म अथवा एक धार्मिक विचारधारा के अनुयायी अपने संप्रदाय, मत, और विश्वास को ही सर्वोच्च मानते हैं, उसी का महत्त्व प्रभुत्व होना चाहिए, दूसरे धार्मिक समूह देय हैं, उन्हें समाप्त कर देना चाहिए, अथवा उन्हें अधिपत्य में रहना चाहिए। ऐसी भावना के फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों में जो पारस्परिक घृणा, द्वेष, उपेक्षा, तिरस्कार निंदा तथा हिंसा जन्म लेती हैं। उसी की समग्रता को हम 'सांप्रदायिकता' या संप्रदायवाद कहते हैं।

4.3 सांप्रदायिकता : परिभाषा

सांप्रदायिकता का अर्थ देखने के बाद उसकी परिभाषा को समझ लेना जरूरी होता है। सांप्रदायिकता की परिभाषा निम्नप्रकार से विद्वानों ने दी है।

स्मिथ नामक विद्वान ने सांप्रदायिकता की परिभाषा करते हुए कहा है कि - “एक सांप्रदायिक व्यक्ति अथवा समूह वह है जो अपने धार्मिक या भाषा-भाषी समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक तथा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है, जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और जो अवसर उनके विरोधी भी हो सकते हैं।”³

श्री. कृष्णदत्त भट्ट नामक विद्वान ने सांप्रदायिकता की परिभाषा निम्न रूप से दी है - “अपने धार्मिक संप्रदाय से भिन्न अन्य संप्रदाय अथवा संप्रदायों के प्रती उदासीनता, उपेक्षा, दया-दृष्टि, घृणा, विरोध और आक्रमण की वह भावना सांप्रदायिकता है, जिसका आधार वह वास्तविक या काल्पनिक भय या आशंका है कि उक्त संप्रदाय हमारे अपने संप्रदाय और संस्कृति को नष्ट कर देने या हमें जान-माल की क्षति पहुँचाने के लिए कटिबद्ध है।”⁴

इन परिभाषाओं को देखने के बाद सांप्रदायिकता के बारे में हमारी धारणा निम्न प्रकार होती है -

- [1] सांप्रदायिकता एक विशेष धर्म अथवा धार्मिक संप्रदाय की वह उग्र भावना है जिसके अंतर्गत दूसरे धर्मों अथवा धार्मिक संप्रदायों के प्रति घृणा और विरोध का प्रदर्शन किया जाता है।
- [2] सांप्रदायिकता चरमवादी होती है जिनमें अनुकूल और समझौते का कोई स्थान नहीं होता।
- [3] सांप्रदायिकता का आधार वह काल्पनिक या वास्तविक भय है जिसके अंतर्गत एक विशेष धार्मिक समूह इस आशंका से घिरा रहता है कि दूसरे धार्मिक समूह उसके विरोधी हैं तथा उसे नष्ट कर देने में तुल्य हुए हैं।
- [4] सांप्रदायिकता की मानसिकता तभी संतुष्ट होती है जब तिरस्कार, विरोध, अथवा हिंसा के द्वारा अन्य धार्मिक समूहों को दबाने में सफलता प्राप्त कर ली जाए।

- [5] सांप्रदायिकता का आधार धार्मिक विश्वास है, इसलिए धार्मिक कट्टरता में वृद्धि तथा कमी, सांप्रदायिकता के प्रभाव में वृद्धि अथवा कमी के साथ रहती है।
- [6] वर्तमान युग में सांप्रदायिकता की धारणा में धार्मिक अंध-भक्ति के साथ राजनीतिक उद्देश्य भी जुड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज सांप्रदायिकता का प्रयोग खुलकर राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाने लगा है।

सांप्रदायिकता के बारे में यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता, एक ऐसी संघर्ष पूर्ण मनोवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के अनुयायी अपने आर्थिक तथा राजनीतिक हितों का पूरा करने के लिए अपने समूह को अन्य धार्मिक समूहों के विरुद्ध संगठित करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्रदर्शनों तथा हिंसा के लिए भडकाते हैं।

4.4 सांप्रदायिकता के कारण

विभिन्न संप्रदायों के बीच पाया जानेवाला तनाव राष्ट्रीय एकता में बाधक साबित होता है। भारत में विभिन्न धर्मों, संप्रदायों और विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इन विभिन्न धार्मिक एवं सांप्रदायिक समूहों ने भारतीय संस्कृति को विकसित और पल्लवित करने में अपूर्व योगदान दिया, लेकिन धीरे-धीरे इन समूहों के बीच पृथकरण की भावना इतनी बलवती हो गई कि उनमें पाया जाने वाला पारस्परिक विद्वेष, घृणा समाज की प्रमुख समस्या बन गई।

‘कितने पाकिस्तान’ के अंतर्गत कमलेश्वर ने सांप्रदायिकता को भारत के ही परिप्रेक्ष्य में ही नहीं तो पूरे विश्व के परिप्रेक्ष्य में चित्रित किया है। आज संपूर्ण विश्व सांप्रदायिकता का शिकार बन गया है। भारत में धर्म के नाम पर हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच होनेवाले संघर्ष ही सांप्रदायिकता का उदाहरण नहीं है बल्कि हिंदुओं में ही वैष्णवों तथा शैवों के बीच होनेवाला संघर्ष, मुसलमानों में शिया और सुन्नियों के बीच होनेवाला संघर्ष अथवा सिक्खों में अकालियों और निरंकारियों के पारस्परिक संघर्ष भी

सांप्रदायिकता के उदाहरण हैं। भारत में सांप्रदायिकता की स्थिति बहुत जटिल है। अतीत में अंग्रेजों तथा मुसलमानों ने अपनायी हुई नीति ही सांप्रदायिकता के लिए उत्तरादायी हैं। सांप्रदायिकता के कारणों को संक्षेप में निम्नांकित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है -

4.4.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सांप्रदायिकता के इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि अतीत में धार्मिक आधार पर जो सांप्रदायिक संघर्ष हुए हैं उससे भारत के दो मुख्य धार्मिक समूहों में अनेक पूर्वाग्रहों का विकास हो गया। इन पूर्वाग्रहों के कारण आज न केवल सांप्रदायिक आधार पर धर्म और भाषा का नारा बुलंद किया जाता है बल्कि अकारण ही विभिन्न धार्मिक समूह एक-दूसरे को अविश्वास की दृष्टि से देखते रहते हैं। यह स्थिति सांप्रदायिक तनाव के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करती है।

4.4.2 राजनीतिक स्वार्थ

जनतंत्र हमारे देश के लिए सर्वोत्तम शासन प्रणाली है। लेकिन इससे संबंधित नेताओं ने सांप्रदायिक संघर्षों को बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभायी है। चुनाव के समय सांप्रदायिकता खुले रूप में सामने आती है और कुछ समय बाद इसकी परिणति सांप्रदायिक संघर्ष में होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने धर्म के अनुयायियों की सहानुभूति पाने के लिए दूसरे धर्मवलंबियों की निंदा की जाती है। तथा मामूली मतभेदों को सांप्रदायिक झगड़ों का रूप दे दिया जाता है।

विभिन्न दलों के द्वारा चुनाव में ऐसे प्रत्याशी को खड़ा किया जाता है जो उस क्षेत्र के धार्मिक समूह का प्रभावशाली सदस्य होता है। और फिर धर्म के नाम पर लोगों को संगठित किया जाता है। अनेक प्रत्याशी तो नियोजित रूप से चुनाव के समय सांप्रदायिक दंगे करवाने का प्रयत्न करते हैं जिससे परिस्थिति के अनुसार वे इसका पूरा लाभ उठा सके। ऐसा राजनीतिक स्वार्थ सांप्रदायिक संघर्षों का कारण बन जाता है।

4.4.3 धार्मिक कट्टरता

“सभी धर्मों की शिक्षाएँ और विश्वास समान हैं फिर भी प्रत्येक धर्म नेता और प्रचारक अपने धर्म को सर्वोच्च मानते हैं और दूसरे धर्मों को देय दृष्टि से देखते हैं। कुछ अपवादों को छोड़कर सभी मुल्ला मौलवी महंत मठाधीश और पादरी अपने-अपने अनुयायियों को धार्मिक कट्टरता की ओर दूसरे धर्मवलंबियों से अपनी रक्षा करने की सीख देते हैं। ऐसे उदाहरण भी हैं कि एक विशेष धर्म के प्रतिनिधियों द्वारा दूसरे धर्म के अनुयायियों की हत्या करने को एक पुण्य-कर्म कहा गया।”⁵

धार्मिक प्रतिनिधी अन्य धर्मों की आलोचना करके, उन्हें अपवित्र, बताकर तथा उनके अनुयायियों को काफिर तथा पाखंडी कहकर अपने अनुसरण कर्ताओं को उनके विरुद्ध भड़काते रहते हैं। इस कार्य के पीछे धार्मिक प्रतिनिधियों के निजी स्वार्थ होते हैं। इसके फलस्वरूप अंदर ही अंदर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच तनाव बढ़ता रहता है। प्रत्येक समूह के अधिकांश व्यक्ति धर्म-भीरु और अंध-विश्वासी होते हैं। ऐसी स्थिति में उनके धर्म गुरुओं द्वारा उन्हें जो भी शिक्षा दी जाती है उसके औचित्य अथवा अनौचित्य पर ध्यान दिए बिना उसे वे आंतरिक रूप से ग्रहण कर लेते हैं। और धार्मिक कट्टरता सांप्रदायिक संघर्षों का कारण बन जाती है।

4.4.4 सांप्रदायिकता संगठन

हमारे देश में आरंभ से ही ‘मुस्लिम लीग’ ओर ‘हिंदू महासभा’ ऐसे दो सांप्रदायिक संगठन हैं जो हिंदुओं तथा मुसलमानों को एक-दूसरे के विरुद्ध भड़काते हैं। आज हिंदुओं, मुसलमानों, सिक्खों और जैनियों में ऐसे संगठनों की संख्या बढ़ती जा रही है। “ये संगठन अपने धर्म अथवा संप्रदाय के लोगों को संगठित करते हैं, अन्य धर्मों और संप्रदायों के प्रति घृणा और विद्वेष का प्रचार करते हैं। अक्सर अपने सदस्यों में अवैध रूप से हाथियारों का वितरण करते हैं तथा अपने अस्तित्व के लिए झूठी अफवाहें फैलाकर अपने सदस्यों को दूसरों के विरुद्ध भड़काते हैं। इन संगठनों का यह प्रयत्न होता है कि एक स्थान पर यदि सांप्रदायिक झगड़े हो तो दूसरे स्थान पर उसका तुरंत बदला लिया जाए।”⁶

4.4.5 मनोवैज्ञानिक कारण

अनेक प्रकार के मनोवैज्ञानिक दबाव भी हमारे देश में सांप्रदायिक तनाव उत्पन्न कर देते हैं। इन मनोवैज्ञानिक दबावों का आधार अनेक प्रकार के संदेह, भय, अविश्वास तथा हीनता की भावनाएँ हैं।

उदाहरण के लिए “भारत का मुस्लिम समूह अकारण ही हिंदुओं की प्रगति को अपने शोषण का कारण मानकर स्वयं को असंतुष्ट महसूस करता है। वह इसका कारण अपनी संस्कृति और शैक्षणिक पिछड़े पन के रूप में नहीं देखता, इसे संदेह और अविश्वास के रूप में देखता है, अतीत में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों का बदला आज उनके सामाजिक और आर्थिक शोषण के रूप में लिया जा रहा है। उनकी हीनता उनमें तनाव उत्पन्न करती है। जब कि हिंदु वर्ग इससे राष्ट्रीय निष्ठा में अविश्वास करने लगा है। कभी-कभी यही स्थिति विस्फोटक बनकर सांप्रदायिक तनाव को बहुत बढ़ाव देती है।”⁷

4.4.6 सांस्कृतिक भिन्नता

भारत में सांप्रदायिक संघर्षों का मूल कारण विभिन्न धर्मों के अनुयायियों की सांस्कृतिक विशेषताओं में काफी भिन्नता होना है। हिंदुओं, मुसलमानों, सिक्ख, ईसाइयों तथा पारसियों के रीति रिवाज एक-दूसरे बहुत भिन्न हैं, उनके उत्सव और त्यौहार मनाने के ढंग अलग-अलग हैं, वेश-भूषा तथा धार्मिक विश्वासों में कोई समानता नहीं है। ये राष्ट्र अंग होने के बाद भी इनके लिए बनाए गए अनेक सामाजिक विधान एक-दूसरे से भिन्न हैं। ऐसा प्रयत्न कभी नहीं किया गया कि नियोजित रूप से सभी समूहों को सांस्कृतिक आधार पर एक-दूसरे निकट लाया जाए। इसके फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूहों तथा संप्रदायों के बीच बनी खाई बढ़ती जा रही है।

4.4.7 अराजक तत्त्वों के स्वार्थ

“प्रत्येक समाज में अराजक अथवा समाज-विरोधी तत्व अवश्य होते हैं जिनका कार्य विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष उत्पन्न करना और संघर्ष की स्थिति में अपनी स्वार्थ पूर्ति करना होता है।”⁸ ऐसे व्यक्ति अत्याधिक चालाकी से और धूर्तता से परस्पर

विरोधी दो धार्मिक समूहों को अथवा सांप्रदायों के बीच संघर्ष उत्पन्न करने में सफल हो जाते हैं। पहले यह अराजक तत्व किसी विशेष अवसर पर एक-दूसरे समूहों के विरुद्ध अफवाहें फैलाते हैं। एक समूह द्वारा दूसरे के विरुद्ध की जानेवाली तैयारियों का भय दिखाते हैं और विशेष अवसर के किसी आयोजन या जुलूस में बाधा उत्पन्न कर अपने साथियों द्वारा झगड़े आरंभ करवा देते हैं। एक बार साधारण-सा झगड़ा हो जाने पर इन्हीं के द्वारा सबसे पहले आगजनी, लूटपाट और हत्या का दौर शुरू किया जाता है जो बाद में एक गंभीर सांप्रदायिक तनाव का रूप लेता है।

4.4.8 धर्म-निरपेक्षता की नीति

भारत में धर्म-निरपेक्षता की नीति का विशेष महत्त्व है तथा इसी नीति के आधार पर संगठित राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन धर्म-निरपेक्षता के क्रियान्वयन में कुछ ऐसे दोष हैं जिनसे सांप्रदायिक तनाव को प्रोत्साहन मिला है। “धर्म - निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ केवल यह होना चाहिए कि राज्य की ओर से सभी धर्मों के विकास में किसी प्रकार की बाधा डाली नहीं जाएगी। तथा सभी धार्मिक समूहों को स्वतंत्र रूप से अपना विकास करने के समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कोई भी धार्मिक समूह अपने धर्म के नाम पर ऐसे व्यवहारों को प्रोत्साहन देता रहे जो एक संगठित राष्ट्रीयता में बाधक हो अथवा धार्मिक संरक्षण के नाम पर राज्य विभिन्न धार्मिक समूहों के लिए पृथक-पृथक सामाजिक कानून बनाए।”¹

यदि धार्मिक समूहों के समान सामाजिक कानून बनाकर लागू किए जाए तो सभी धर्म-निरपेक्षता की भावना सुरक्षित रह सकती है। वर्तमान स्थिति यह है कि भारत में हिंदुओं, मुसलमानों तथा ईसाइयों के लिए सामाजिक कानून पृथक-पृथक हैं। फलस्वरूप विभिन्न धार्मिक समूह धर्म के आधार पर संगठित होकर अपने लिए एक पृथक सामाजिक व्यवस्था की मांग करते हैं। जिससे हमारा राष्ट्र अनेक तुकड़ों में विभाजित हो जाता है विभिन्न धार्मिक समूह एक-दूसरे को अविश्वास से देखने लगते हैं, कितने भी सुविधाएँ मिल जाने पर प्रत्येक धार्मिक समूह इस बात से पीड़ित रहता है कि दूसरे समूह कि तुलना में उसे मिलनेवाले अधिकार कम हैं। इससे राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी

कठिनाई अनुभव की जाने लगती है। यह सभी परिस्थितियाँ सांप्रदायिक तनाव में वृद्धि करती हैं। इस प्रकार सांप्रदायिकता के कारण हैं।

4.5 'कितने पाकिस्तान' में चित्रित सांप्रदायिकता

'कितने पाकिस्तान' अंतर्गत कमलेश्वर ने 'सांप्रदायिकता' का चित्रण किया है। उपन्यास में आर्यों के आगमन के साथ उन्हीं के द्वारा जातियों का निर्माण राममंदिर और बाबरी मस्जिद के झगड़े को जिंदा रखने की साजिशें, सत्रहवीं सदी के उत्तराधिकार युद्ध को धार्मिक रूप देना, औरंगजेब का कट्टर धर्मांध रूप अंग्रेजों की साजिशें, तथा पाकिस्तान का निर्माण और सांप्रदायिक दंगों पर कमलेश्वर ने प्रकाश डाला है।

भारत के साथ-साथ अन्य देशों में भी सांप्रदायिकता की स्थिति को कमलेश्वर ने 'कितने पाकिस्तान' में चित्रित किया है।

4.5.1 आर्यों का आगमन

विद्वानों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का अभ्युदय लगभग ई. पू. 4000 के आस-पास हुआ। उस समय से करीब एक हजार से वर्षों तक यह सभ्यता बनी रही। तत्पश्चात् इसका अंत हो गया। सहस्रों सदियों पहले आर्यों के कबीले क्रोशिया के विंदिजा इलाके से चले आये थे। उनमें से कुछ रुक कर दक्षिणवर्ती घास के मैदानों में चले गए। कुछ मिस्त्र की तरफ निकल गए। और कुछ आर्य कबीले उफराल और तिग्रा नदियों से होते हुए तरबेज और तेहरान के रास्ते से सिंधु घाटी की ओर बढ़ गए।

“आर्य कबीलों का दूसरा कारवाँ मशद के इलाके को छोड़ता हुआ हेरात और बलख के रास्ते बोलन दर्रे से सिंधु घाटी में दाखिल हुए। तिसरा कारवाँ जो खैबर दर्रे को पार करके सिंधु घाटी में दाखिल हुआ, वह मोहन-जोदड़ो और हड़प्पा के इलाके में बस गया।”⁹

सिंधु घाटी में आए हुए आर्यों ने वहाँ पहले से बसी आदिम जातियों को खदेड़ कर उन्हें मध्य भारत तथा दक्षिण भारत के पठार तथा वन्य प्रदेशों में शरण लेने पर

विवश किया। आर्य जाति के लोगों का कद लंबा तथा वर्ण गौर था। उनकी भाषा भी भिन्न थी, तथा वे अपने को आदिम जातियों से श्रेष्ठ मानते थे। पहले से बसनेवाले आदिम कबीलों से वे शत्रुओं जैसे व्यवहार करते थे तथा उपेक्षा भाव से उन्हें दास, दस्य, निशाद तथा दानव आदि कहते थे। अधिकांश आदिम जातियां दक्षिण भारत के पठार तथा घाटों में बस गई तथा सदियों तक सभ्य जगत् के संपर्क से पृथक् रहकर आदिम दशा में ही रही। आगे आर्यों ने वर्णाश्रम धर्म बना लिया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र इस प्रकार चार वर्णों को उन्होंने ब्रह्मा के अंगों - प्रत्यांगों से निर्माण का सिद्धांत रखा।

मतलब आर्यों के ही काल में सांप्रदायिकता की नींव डाली गई थी।

4.5.2 बाबर कालीन सांप्रदायिकता

भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डालने का श्रेय जहीरूद्दीन मोहम्मद बाबर को दिया जाता है। यह कुशल प्रशासक था। भारत में वह चार साल ही सत्ताधीश बना रहा। इतिहास में ऐसे भी बादशाह हुए हैं जो सौ-सौ साल सत्ताधीश रहे पर वे हमें याद भी नहीं आते। मगर बाबर के चार साल का कालखंड इतिहास कभी भूल नहीं सकता। वह इसलिए कि बाबर पर अयोध्या के प्राचीन राममंदिर को तोड़ने तथा उस जगह पर मस्जिद बनवाने का आरोप है।

वैसे देखे तो बाबर के कालखंड में हिंदू - मुस्लिम ऐसे दो धर्मों में दरार नहीं थी। पर जो लोग बाबरी मस्जिद और रामजन्मभूमि मंदिर के झगड़े को जिंदा रखना चाहते हैं उन्होंने इन दो धर्मों के बीच सांप्रदायिकता की दरार बना दी। बाबर के काल में खुद बाबर मुसलमान इब्राहीम लोदी के खिलाफ लड़ा है। मतलब उस काल में धर्म को इतना महत्त्व नहीं था जितना की राज्यसत्ता को।

बाबर को बदनाम करके हिंदू-मुस्लिमों में सांप्रदायिक तणाव को बढ़ावा देने के पीछे (अंग्रेजों) की कुचाले थी। अंग्रेज गजेटियर लेखक एच.आर.नेविल और कनिंघम ने जान बुझकर अपने-अपने गजेटियर में लिखा है कि, बाबर ने ही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवायी है। जिससे हिंदू में बाबर अर्थात् 'इस्लाम' के प्रति असंतोष पैदा हो और ब्रिटिशों की नीति के तहत वे (फोड़ो और राज्य करो) अपना उल्लू सीधा कर सकें।

लखनऊ गजेटियर का लेखक कनिंघम ने चालाकी से यह भी लिखा है कि “बाबरी मस्जिद की तामीर के दौरान हिंदुओं ने तामीर होती मस्जिद पर हमला किया था और उस जंग में मुसलमानों ने एक लाख चौहत्तर हजार हिंदुओं को हलाक किया था . . . उन्हीं हिंदुओं के खून से मस्जिद के लिए गारा बनवाया गया था . . .”¹⁰

उसी बाबरी मस्जिद पर लिखा हुआ शिलालेख जो आर्कियालॉजीकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल ए. फ्युहरर ने सन् 1889 में पढ़ा था जिस पर साफ लिखा था कि “यही कि हिजरी 930 यानी करीब 17 सितंबर 1523 में इब्राहीम लोदी ने उस मस्जिद की नींव रखवाई थी, और जो 10 सितंबर 1524 में बनकर तैयार हुई थी जिसे अब बाबरी मस्जिद कहा जाता है।” इसका मतलब कि इब्राहीम लोदी ने मस्जिद बनवायी थी। “मगर इब्राहिम लोदी पर किसी ने भी रामजन्मभूमि मंदिर तोड़ने का इल्जाम नहीं लगाया। क्योंकि पहली बात यह है कि -वहाँ मंदिर था ही नहीं और दूसरी बात इब्राहीम लोदी की दादी हिंदू थी... हिन्दु दादी का खून उसकी रगों में बहता था।”¹¹

इससे यह तो पता चलता है कि अंग्रेजों जैसे सत्तालोलुप लोग स्वार्थ के लिए धर्म का सहारा लेकर लोगों के दिलों-दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर उतारना चाहते हैं।

4.5.3 सत्रहवीं सदी में चित्रित सांप्रदायिकता

उपन्यास ‘कितने पाकिस्तान’ अंतर्गत कमलेश्वर ने सत्रहवीं सदी में चित्रित धर्मांधता पर प्रकाश डाला है। सत्रहवीं सदी में शहाजहाँ के बीमार पड़ते ही शहाजादों में राजसत्ता के लिए उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ। शहाजहाँ का शासन काल अन्नविरीथी खिचावों का दौर है जहाँ कट्टर धर्मांध भी हैं और उदार तथा न्यायवादी भी। औरंगजेब, वजीर सादुल्ला और रोशनआरा का गरम दल तो दोराशिकोह और जहाँआरा का नरम दल दूसरी ओर यह दलीय युद्ध ही उत्तराधिकार युद्ध का मूल कारण बन गया। वैसे औरंगजेब से ही कट्टर बादशहा शहाजहाँ था। “शहाजहाँ औरंगजेब से ज्यादा हिंदू विरोधी था। उसने औरंगजेब से ज्यादा हिंदू मंदिरों को गिरवाया था ... उन्हें बहुत सताया था ... वह औरंगजेब से ज्यादा बड़ा कट्टर मुसलमान था।”¹²

मगर फिर भी शहाजहाँ औरंगजेब से परेशान था। क्योंकि औरंगजेब में उसे अपनी पापी छाया दिखाई देती थी। शहाजहाँ ने भी पिता जहाँगीर के खिलाफ विद्रोह किया था और बड़े भाई की हत्या करके राजगद्दी हासिल की थी। औरंगजेब इसी इतिहास को फिरसे न दोहरा दे। इसीलिए शहाजहाँ ने अनेकेश्वरवादी पुत्र दारा का साथ दिया। मगर उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब जैसे कुटन तज्ञ और धर्मांध को वे परास्त नहीं कर सके। शहाजहाँ को लिखे पत्र में औरंगजेब ने लिखा है कि, "जहाँपनाह अपनी तरह से जानते हैं कि अल्लाह उसी को उत्तरादायित्व सौंपने है जो अपनी प्रजा की भलाई और उसकी रक्षा करने के कर्तव्य को निभाता है।"²

औरंगजेब बादशाह के कर्तव्यों और उत्तरादायित्वों से भली-भाँति परिचित था। उसके जीवन का मुख्य ध्येय अपनी प्रजा की भलाई करना था। प्रजा की सामाजिक, आर्थिक धार्मिक और नैतिक स्थिति को उन्नत बनाना था। सिंहासन पर बैठते ही उसने लगभग 80 करों को समाप्त कर दिया था। फिर भी औरंगजेब असफल रहा। माना कि इसमें कोई संदेह नहीं कि औरंगजेब के राजत्व सिद्धांत महान थे, और एक महान् शासक होने के भी सभी गुण उसमें थे। उसकी असफलता का मुख्य कारण है उसका चरित्र और धार्मिक असहिष्णुता।

4.5.4 औरंगजेब का राजत्व सिद्धांत :-

औरंगजेब कट्टर धर्मांध शहंशाह के रूप में जाना जाता है। वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसका राजत्व सिद्धांत का अर्थ इस्लाम राजत्व सिद्धांत था। उसकी प्रजा का अर्थ केवल मुस्लिम प्रजा थी। वह भारत को 'दार-उल-हर्ब' (काफिरों का देश) से दार-उल-इस्लाम (इस्लाम का देश) में परिवर्तित करना चाहता था। उसकी शासन नीति इसी महान् ध्येय पर आधारित थी। उसने हर संभव उपाय से गैर मुसलमानों पर दबाव डालने का प्रयत्न किया ताकि विवश होकर इस्लाम स्वीकार करने के लिए वे तत्पर हो जाए।

इसी प्रकार औरंगजेब की नीति ने उसके राजत्व-सिद्धांत को संकीर्ण बना दिया और वह अपनी बहुसंख्यक प्रजा का बादशाह न बन पाया।

4.5.5 शिया और सुन्नी में संघर्ष

औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। साथ में दक्षिण का सुभेदार भी था और सफल कुटनीतिज्ञ भी। उत्तराधिकार युद्ध के लिए ज्यादा फौज होना निहायत जरूरी था। इसीलिए औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा ये दोनों शिया रियासतों पर आक्रमण किया। क्योंकि “असल में औरंगजेब की नजर बीजापुर-गोलकुण्डा पर नहीं, मुगलिया सल्तनत के तरखो ताऊस पर है दोनों रियासतों को हराकर उनकी फौज अपनी अगली लड़ाई के लिए हासिल करना चाहता है।”¹⁴

गोलकुंडा और बीजापुर दोनों शिया रियासते उस समय बिलकुल खोखली और दुर्बल हो चुकी थी। बीजापुर का शासक सिंकदर शहा भोग-विलासी तथा अयोग्य था। उसके सामंतों में फुट थी और वे स्वार्थ सिद्धि के लिए कुकर्म करने को तैयार थे। औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया तो अधिक समय तक सेना प्रतिरोध न कर सकी और बीजापुर ने आत्मसमर्पण कर दिया। गोलकुंडा का अबुल हसन भी वैसा ही शासक था। मदना और अकन्ना नामक दो मराठे -ब्राह्मणों के हाथ में उसके शासन की बागडोर थी। गोलकुंडा औरंगजेब के साथ छः महिनो तक लड़ता रहा। औरंगजेब ने दुर्ग रक्षकों को घूस देकर दुर्ग के फाटक खुलवा लिए तब मुगल सेना दुर्ग पर अधिकार कर सकी।

इस तरह औरंगजेब ने एक साथ दो विजय हासिल किए एक में उसे दोनों रियासतों की मिलकर करिबन तीन लाख फौज उसके हाथ आ गई। दूसरी यह कि शिया रियासतों पर सुन्नीयों का अधिकार रहा।

औरंगजेब ने बोहरी मुसलमान जो ज्यादातर शिया हैं उनकी मस्जिदों में सुन्नी इमाम और मोअज्जिन को तैनात किया था। इसके अलावा “शियाओं के मोहर्रम के त्यौहारों पर भी पाबंदी लगा दी थी . . . इसने बड़े -बड़े सूफी -संतों को नहीं बखशा- यह बंगाल के दरवेश सैय्यद नियामत अल्लाह मुल्ला शाह बखशी और शेख मुहील-उल्लाह जैसे साधुओं को बेइज्जत किया . . . इसने सैंकड़ों मुसलमानों के सिर कलम करवा दिए।”¹⁵

4.5.6 औरंगजेब की धर्माधता

औरंगजेब ने धर्म का सहारा लेकर ही उत्तराधिकार का युद्ध जिता था। उसकी धर्माधता का परिचय देते हुए इतिहासकार जे. एन्. सरकार ने कहा है कि - “वह भारत में मात्र मुस्लिम जनता को देखना चाहता था, और किसी भी गैर मुस्लिम को घोड़े की सवारी, अस्त्र-शस्त्र रखने, मंदिरों के निर्माण एवं मरम्मत का अधिकार नहीं था।”¹⁶ अकबर और जहाँगीर के जमाने में जो मेल-जोल मुस्लिम और अन्य धर्मों में था उसे औरंगजेब ने खत्म कर दिया।

औरंगजेब को तख्तों -ताज हासिल करने के लिए मुल्लाओं का गुलाम होना पड़ा। अपने भाई दाराशिकोह को मारने के लिए इसे धर्माध उलेमाओं की जरूरत पड़ी ताकि उस पर कोई उंगली न उठाए। इसके शासन काल में हो मजहब की घुसपैठ शुरू हो गई। इसने संगीतकारों और शायरों की बेइज्जती की हालाँकि वे ज्यादातर मुसलमान थे। औरंगजेब ने दरबार से ज्योतिषियों को निकाल दिया क्योंकि वे हिंदू थे। “मुगलिया शहंशाहों का यह रिवाज था कि वे ईद और दशहरा में हमेशा शामिल होते थे, लेकिन जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को हराने के बाद आलमगीर ने हम हिंदुओं के दशहरा व दीगर त्यौहारों में शामिल होना बंद कर दिया।”¹⁷

इसने मुसलमानों को भी नहीं बख्शा। औरंगजेब के हुक्म तहत मुसलमान चार अंगुल से बड़ी दाढ़ी नहीं रख सकता। इससे गरीब मुसलमानों का जीना मुश्कील हो गया। सूफी लोगों पर हुजूर पैगंबर के जन्मदिन पर गाए जानेवाले भजनों पर पाबंदी लगा दी। जब भी कोई हिंदू राजा गद्दीनशीन होता था तो शहंशाह उसका तिलक करता था, लेकिन औरंगजेब ने तिलक को हिंदू परंपरा कहकर बंद कर दिया। गरीब कुम्हारों को भी इस धर्माध औरंगजेब ने नहीं छोड़ा। ये कुम्हार सभी धर्मोंवालों के मेलों-नुमाइशों तीज त्यौहारों पर मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचते थे लेकिन औरंगजेब ने पूरी सल्तनत में मिट्टी के खिलौनों का बनाना ही बंद करवा दिया। औरंगजेब के दरबार के बारे में कहा है कि - “इसके दरबार में घटिया मुल्लाओं और मौलवियों का जमावड़ा था . . . इस पर उन छिछले और उथले धर्मशास्त्रियों ने घेरा डाल रखा था जो इस्लाम के बड़प्पन

को भूलकर हमारे धर्म को स्वार्थी सीमाओं में कैद कर रहे थे। और यह कठपुतला उनकी हर बात को आँख मूँद कर मंजूर करता जाता था। जूलम के हर कदम पर अपनी मुहर लगाता जाता था।”¹⁸

इसी तरह औरंगजेब की (धर्माधता)सांप्रदायिकता पर प्रकाश डाला है।

4.6 औरंगजेब की हिंदू धर्म के प्रतीउदासीनता

मुगल कालीन भारतीय समाज मुख्यतः दो वर्गों में विभाजीत था। 1. हिंदू और 2. मुसलमान। अकबर और जहाँगीर के जमाने से इन दो धर्मों में मेल-जोल था। हिंदू-मुसलमान एक दूसरे के तीज-त्यौहारों में शामिल होते थे। इन्हीं के कालखंड में गैर मुसलमानों के प्रती उदार एवं सहिष्णुता की नीति अपनायी गई। अकबर के कालखंड में तो हिंदू-मुसलमान दोनों जातियों को साम्राज्य की समान सेवा और समान नागरिकता के बंधनों में ढाला था।

लेकिन औरंगजेब का दौर कुछ ओर ही था। वक्त पड़ने पर या अपनी जरूरत के मुताबिक अपना निजी दबदबा या प्रभुत्व बढ़ाने के लिए इस्लाम का सहारा बहुतें ने लिया था। वहीं औरंगजेब ने भी किया। उत्तराधिकार के युद्ध को धार्मिक रूप देकर राजगद्दी हासिल कर ली। “पैगंबर हजरत मुहम्मद के दौर में जो तलवार इंसफ और हिफाजत के लिए उठायी गई थी, उसका गलत इस्तेमाल किया गया बाद में वह तलवार प्रतिशोध और निजी स्वार्थ के लिए उठाई जाने लगी . . .। और उसे इस्लाम परस्ती का नाम दिया गया।”¹⁹

जब औरंगजेब ने साम्राज्य की जिम्मेदारी संभाली तब धर्म के सारे तौर तरीके करीब-करीब खत्म हो रहे थे। शाही दरबार में भी हिंदू लोग धोतीनुमा पैजामे और पगड़ियां पहनकर आ रहे थे। हिंदू चरण स्पर्श या साष्टांग प्रणाम तब दरबारों में चलता था। हिंदू लोग मुसलमान लड़कियों से खुलआम शादियाँ करने लगे थे। औरंगजेब ने इन तमाम गलत और गैर-इस्लामी परंपराओं को बंद किया। औरंगजेब के दरबारीयों ने रियासत और मजहब के मामलों में औरंगजेब को दिया हुआ मशवरा -

“यही कि हिंदुओं को दबा कर रखा जाए . . अकबर और जहाँगीर के जमाने का जो मेल-जोल, मुसलमान-हिंदू बराबरी की जो रवायते चली आ रहीं है उन्हें खत्म किया जाए, हिंदू को रियाया माना जाए . . . जयपुर के महाराजा मिर्जा राजा जयसिंह के बाद उनके खानदान के किसी भी आदमी को सल्तनत में वह इज्जत और मर्तबा न दिया जाए, जो उन्हें हासिल है। मौका पाते ही सल्तनत के वजीर राजा रघुनाथ को हटाकर यह ओहदा किसी मुसलमान को दिया जाए। किसी हिंदू अफसर के नीचे मुसलमान को तैनात न किया जाए . . और अब यह खुलकर इन काफिर हिंदुओं को बता दिया जाए कि वह प्रजा हैं, बराबरी का हक नहीं है। क्योंकि मुसलमानों ने इस मुल्क को फतह किया है। . . बस तभी से आलमगीर का दिमाग खराब हुआ है।”²⁰

4.6.1 जजिया टैक्स

सबसे पहले औरंगजेब ने हिंदुओं पर ‘जजिया टैक्स’ लगाया। वह इसलिए कि औरंगजेब समझ गया था कि अकबर और जहाँगीर के शासनकाल तक हिंदुओं को सर पर चढ़ा लिया गया था और वे यह भुलने लगे थे कि मुगलों ने भारत को फतह किया है। शाहजहाँ ने इस भुल को सुधारा लेकिन उसके आखरी दिनों में दाराशिकोह उन्हें अपने काबु में कर लिया। हिंदू लोग मुसलमान की बराबरी करने लगे इसीलिए उन्हें यह जजिया टैक्स लगाकर यह बताना जरूरी हो गया कि वह प्रजा है। यही जजिया टैक्स लगाने के पीछे औरंगजेब की धारणा थी पर उसने अमर से यह दिखावा किया कि शहाजहाँ के दौर में शाही खजाना मस्जिद, किले, और ताजमहल बनवाने में खाली हो गया है। उसे फिर से भरने के लिए यह टैक्स लगाया है।

4.6.2 मंदिरों की तोड़-फोड़

धर्मांध औरंगजेब अब हिंदुओं के खिलाफ मनचाहे हुक्म निकालने लगा। उसके शाही फरमान के अंतर्गत उड़ीसा के असद खाँ का हुक्म दिया था कि उड़ीसा में जो मंदिर बनाए गए हैं, उन्हें गिरा दिया जाए। और पुराने मंदिरों की मरम्मत के लिए इजाजत न दी जाए। “मथुरा के केशवराय मंदिर को गिराया जाए . . . उस मंदिर पर पत्थर जो पैड़ी दाराशिकोह ने बनवायी है उसे तोड़ दिया जाए।”²¹ यह 1665 का दौर था।

केशवराय मंदिर की रत्नजड़ित मूर्तियाँ आगरा लाई गई और उन्हें जहाँआरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दफन कर दी गई। वल्लभाचार्य के गोवर्धन मंदिर की मूर्तियाँ लेकर पुजारी दामोदरलाल जोधपुर की तरफ भागा लेकिन जोधपुर में भी भगवान को शरण नहीं मिली। भगवान छः साल तक भागते रहे और आखिर उन्हें मेवाड़ के राणा राजसिंह ने शरण दे दी। मथुरा, वृंदावन, काशी, प्रयाग, उज्जैन, पुरी आदि के पुजारी मूर्तियों को लिए छुपते-छुपाते शरण खोज रहे थे। औरंगजेब के शाही फरमान का फायदा काजीयों ने उठाया गुजरात के वणिकों ने काजीयों को रिश्वते देकर मंदिर बचा लिए। काशी के विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा गया इसकी जानकारी इतिहासकार पट्टाभि सीतारमैया ने अपने पुस्तक 'फैदर्स एंड स्टोंस' में दी है - तत्कालीन शाही परंपरा के अनुसार जब मुगल सम्राट किसी यात्रा पर निकलते थे, तो उनके साथ राजा सामंतों की काफी बड़ी संख्या चलती थी और उनके साथ उन सबका अंतःपुर भी। जब औरंगजेब बनारस के निकट से गुजर रहा था तब उसके हिंदू सामंतों की स्त्रियों ने गंगा स्नान और विश्वदर्शन दर्शन की इच्छा प्रगट की। अतः सभी हिंदू दरबारी अपने परिवार के साथ गंगा स्नान और विश्वनाथ दर्शन के लिए चले गए। जब मंदिर से बाहर आए तो उनमें से एक रानी गायब थी। जब अधिक सतर्कता से उसे खोजा तब वह तहकाने में वस्त्राभूषण विहीन भयग्रस्त मिल गई। औरंगजेब ने पंडों की करतूतों से कुध्र होकर आदेश दिया कि "जहाँ मंदिर के गर्भ गृह के नीचे इस तरह डैकेती और बलात्कार हो, तो वह मंदिर ईश्वर का घर नहीं हो सकता, अतः उसने उसे तुरंत गिराने का आदेश दिया।"²² (पट्टाभि सिमारमैया द्वारा प्रस्तुत घटना कितनी ऐतिहासिक है, यह कहने के लिए सम्प्रति कोई साधन नहीं है। इसलिए यह संदिग्ध है कि औरंगजेब ने धर्मांधता के कारण काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ा या फिर उस पंडों की काली करतूतों के कारण।)

मंदिरों को तोड़ने के पीछे यह भी कारण बताया जाता है कि औरंगजेब के कालखंड में राजा और रियाया, धर्म और संप्रदाय, और विजेता और पराजित की लड़ाइयों का सिलसिला चला था। तब बागी साधुओं की परंपरा शुरू हो चुकी थी, जिनके अपने संप्रदाय और अखाड़े थे, जो छावनियाँ कहलाते थे। ये छावनियाँ तीर्थस्थानों और बड़े मंदिरों में स्थापित की गई थी। ये छापामार साधु एक सैन्य-शक्ति के रूप में संगठित हुए

थे। और जब औरंगजेब ने 'इस्लामीकरण' शुरू किया तब इस साधु शक्ति को ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब ने मंदिरों को ढहाया।

औरंगजेब ने हिंदुओं पर हर संभव तरीके से दबाव डालने का प्रयत्न किया ताकि वे इस्लाम को अपनाने के लिए विवश हो उसके इस कुकर्म को देखते हुए श्रीराम शर्मा ने लिखा है कि “यह सभी कार्य एक योग्य शासक अथवा निर्माणकर्ता राजनीति के नहीं बल्कि एक अंधी धर्मांधता का फूट पड़ना था, जो निस्संदेह अन्य सभी क्षेत्रों में मेधावी औरंगजेब के लिए शोभनीय न थी।”²³

4.6.3 धर्मांतरण

औरंगजेब के कालखंड में 'धर्मांतरण' प्रक्रिया पर विशेष जोर दिया गया। औरंगजेब के कालखंड तक हिंदू-मुसलमान विवाह तथा अन्य बंधन भी इतने कठोर नहीं थे। एक परिवार में कई हिंदू- तो कई मुसलमान भी थे। सत्ताधिश बनने के बाद औरंगजेब ने उन सब गैर प्रथाओं को बंद किया। और उसने तलवार के बल पर धर्मांतरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दिया।

यह भी बात गौर करते हैं कि औरंगजेब ने तलवार के बल पर ही धर्मांतरण किया। यह पूर्णतया सत्य साबित नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ के राजा सामंतों में स्वार्थ भावना प्रबल थी। स्वार्थ के लिए धर्म-परिवर्तन करते थे। “धर्म-परिवर्तन तो तब एक सुविधा की बात थी . . . जैसे हम जंग में अपने घायल घोड़े बदलते हैं, वैसे ही धर्म बदलने में देर नहीं लगाते थे।”²⁴

उत्तराधिकार का युद्ध हार जाने के बाद दारा भागते हुए अफगानिस्तान के दादर रियासत के राजा मलिक जीवन के यहाँ गया। वहाँ से दारा कंधार की ओर जाना चाहता था। मगर मलिक जीवन ने सिर्फ जागीरों के लिए दारा के साथ विश्वासघात किया। दारा की टिप्पणी -“उस नामुराद और एहसान फरामोश मलिक जीवन ने सिर्फ जागीरें, आराम और आराइशें ही हासिल नहीं की बल्कि मुझे धोखा देने के साथ-साथ उस हिंदू-पठान ने अपने जमीर को भी धोखा दिया। अपना धर्म-परिवर्तन करके वह हिंदू मलिक जीवन से बदलकर मुसलमान बख्तियार खाँ बन गया।”²⁵

4.7 दारा का हिंदू - परस्त रूप

शहाजहाँ के बीमार पड़ते ही उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो गया। शहजादों में औरंगजेब ही रणकौशल तथा कूटनीतिज्ञ था। दारा शिकोह के दरबार में वेद-उपनिषदों के विद्वान हमेशा मौजूद रहते थे जब कि औरंगजेब के दरबार में धर्मांध उल्लेमा, धर्मगुरु आदि का जमाव रहता था। दारा के निजी दिवानखाने में हिंदू भगवान शंकर की तस्वीर रहती थी। खुद उसके सीने पर भी शिव की तस्वीर खुदी थी। दाहिने हाथ की अंगूठी में संस्कृत भाषा में 'प्रभु' लफज लिखा था। "जब वह कंधार के जंग में गया था तो जंगी हाथियों, हजारों घुड़सवारों, तोपों, तीरंदाजों, पैदल बंदूकचियों, तोपचियों, बेलदारों, संगतंराशो मिशितियों, खादियों के पूरे कारखाने के साथ-साथ पाँच हाथियों पर संस्कृत, अरबी और फारसी के पंडित, आलिम, कवि, भाष्यकार ज्योतिषी, संन्याशी और योगी सवार थे।"²⁶ दारा था तो मुसलमान पर वह जरूरत से ज्यादा हिंदू परस्त हो गया था। अगर वह तख्तों ताज हासिल करता तो आज हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता।

'विधर्मी' दारा के खिलाफ पहले से ही उलेमा मुल्लामौलवी थे। शरीयत और मजहब के विद्वानों तथा धर्मशास्त्रियों को दारा से पहले से ही खतरा था इसीलिए उन्होंने दाराशिकोह को काफिर करार देकर अनेकेश्वरवादी होने का इल्जाम लगाकर सजाए मौत का फतवा जारी किया।

दारा को मौत की सजा देने के बाद औरंगजेब ने जबरिया धर्म परिवर्तन करता शुरू किया। उसने दमन और धर्म परिवर्तन का केंद्र कश्मीर को बनाया क्योंकि वहाँ ही सबसे आला दिमाग कश्मीरी पंडित मौजूद थे। मगर कश्मीर में जिन्हे इस्लाम मंजूर करना था वे पहले ही कर चुके थे।

4.8 गुरु तेगबहादुर का धर्म के लिए आत्म बलिदान

औरंगजेब द्वारा हिंदू जनता बहुत पीड़ित थी। इस धर्मांध ने अब अपना मोर्चा कश्मीर की तरफ बढ़ाया था। वहाँ के पंडितों को सताकर उन्हें इस्लाम मंजूर करने के लिए विवश करना यही उसका उद्देश्य था। औरंगजेब द्वारा किए हुए जुल्म जब कश्मीरी

पंडितों से बर्दाश्त नहीं हुए तो वे पंडित कृपाराम जी के साथ एक जत्था लेकर गुरुजी तेगबहादुर के पास आ गए। जुल्म और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की दास्तान सुनकर गुरुदेव ने धर्म की रक्षा के लिए आत्मबलिदान का निर्णय लिया। उन्होंने कृपाराम से कहा “तुम लोग बादशाह औरंगजेब के पास जाओ और कहो कि इस समय हमारे नेता गुरु तेगबहादुर हैं, जो गुरु नानक की गद्दी पर आसीन हैं। अगर वो इस्लाम धर्म अंगीकार कर लेते हैं, तो सभी हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेंगे।”²⁷

औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर की गिरफ्तारी का फर्मान निकाला। उनके धर्म परिवर्तन के लिए दिल्ली काजी अब्दुल बहाबी को तैनात किया। काजी अब्दुल बहाबी ने गुरुजी के सामने इस्लाम कबूल करने की पेशकश की। तब गुरु तेगबहादुर ने इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया।

क्रोधित औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुरा को मृत्युदंड देने का फैसला लिया और इस कार्य को अंजाम देने के लिए सामाना से जल्लाद जलालुद्दीन को बुला लिया। गुरुजी को चाँदनी चौक में मौत देने का फतवा पढ़ा गया। 11 नवंबर सन 1675 बृहस्पतिवाद के दिन सुबह दस बजे जलालुद्दीन ने गुरु तेगबहादुर का तना हुआ सर कलम किया।

4.9 अंग्रेजों का भारत प्रवेश :-

अंग्रेज यहाँ मूलतः व्यापार करने के लिए आये थे। सर थॉमस रो ने बड़ी विनम्रता से जहाँगीर से व्यापार करने की अनुमति माँगी थी। व्यापार के बहाने धीरे-धीरे अंग्रेजों ने भू-स्वामित्व प्राप्त किया। अंग्रेजों का मन विलायत में और तब भारत में था। यहाँ से धनदौलत समेटकर विलायत भेजते थे। जिस देश में वह शासन करने आए थे उसके निवासियों से घृणा वे करते थे। उन्होंने वर्ण-भेद की नीति अपनाई थी। कदम-कदम पर भेदभाव की नीति अपनाकर अंग्रेजों ने हर क्षेत्र में भारतीयों को घटिया दर्जा दिया, उनका शोषण किया। मतलब अंग्रेज व्यापार के माध्यम से राजनीतिक शक्ति अर्जित कर चूके थे। वे भारतवासियों का धर्म-परिवर्तन करना चाहते थे।

उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे-पाँचवे और छठे दशकों में जब ईसाई पादरियों ने धर्म-परिवर्तन के नए-नए तरीके अपनाए तो ईसाई धर्म न केवल हिंदुओं अपितु भारत में मौजूद अन्य सभी धर्मों के लिए खतरा बन गया। क्योंकि ईसाई, धर्म परिवर्तन के साथ शोषण और पराधीनता की भावनाएँ जुड़ी हुई थी। धर्म परिवर्तन तो पहले भी हुआ था। जिसके लिए वर्णव्यवस्था जिम्मेदार थी। अंग्रेजों से पूर्व विशेष रूप से हिंदू-मुसलमानों पारस्परिक प्रेम और सहयोग की कहानियों से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। हिंदू-मुसलमान पारसी, सिख आदि विभिन्न धर्मावलंबी भारतीय समुदायगत जीवन में अपने-अपने धर्मदेशों के अनुसार चलते थे। मगर अंग्रेज यहाँ केवल शोषण का दुश्चक्र फैलाने के लिए आए शासन की व्यवस्था स्थापित करके भारतीय राष्ट्र को समुन्नत बनाने नहीं।

4.10 1857 का क्रांति दौर

सन् 1857 की क्रांति के प्रमुख नेताओं में दिल्ली और अवध के शासक मुसलमान थे। वैसे अंग्रेजों के पूर्व भी तो मुसलमान ही शासक थे। इसीलिए अंग्रेजों के आगमन से तथा सत्ता प्राप्त करने से मुस्लिम शासक नाराज हो गए थे। इसीलिए अंग्रेजों ने भी मुस्लिम को अपना मुख्य शत्रु समझा था।

दिल्ली के आस-पास के हिंदु राजाओं तथा सरदारों ने बहादुरशाह को अपना नेता नियुक्त किया था। अंग्रेज मुस्लिम नेतृत्व से मुसलमानों से बेहद अप्रसन्न थे। उन्होंने जाति-संप्रदाय के आधार पर भारतीय सेना का गठन किया। अंग्रेज धीरे-धीरे ऐसे उपाय सोचने लगे जिससे भारतीयों में सांप्रदायिकता की फूट डाल सके। सन् 1857 ई. विद्रोह के समय अंग्रेजों और मुसलमानों के संबंध तीव्र गति से बिगड़े क्योंकि विद्रोह का नेतृत्व मुगल बादशाह बहादुर शाह कर रहा था। आगे चलकर स्थिति बदल गई। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया ताकि स्वयं की स्थिति को वे दृढ़ बनाए रखे।

4.11 अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता

लॉर्ड मेकॉलो ने अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य बनाया। अंग्रेजी शिक्षा के साथ-साथ धर्मगुरु ईसाई धर्म का प्रसार और प्रचार करने लगे। “अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य बनाकर फारसी को बेदखल किया था और पूरे हिंदुस्तान के बुद्धिजीवियों और तहजीयाफता सबकों को अनपढ़ और जाहिल बना दिया था।”²⁸

सन् 1857 की हिंदू - मुस्लिम एकता तो तोड़ने के लिए राजे महाराजों, नबाव तालुकेदारों के बच्चों के लिए मेकॉलो ने उन्हीं की रियासतों में बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए। और इन स्कूलों में इन्हीं नेटिवों के धर्मों की शिक्षा अनिवार्य बनाई। हिंदुस्तान की ऐसी रियासते कौम और धर्म के इस विभाजन को अंजाम देनेवाली अंग्रेजों के साम्राज्यशाही के केंद्र बन गये थे। हिंदू-रियासतों में मुसलमान को सताना और मुसलमान रियासत में हिंदू को सताने की कुचाल अंग्रेजों ने हासिल कर ली।

4.12 सर सैय्यद अहमद खाँ का योगदान :-

सन् 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों में मुसलमानों के प्रति जो घृणा एवं संदेह भी था, उसे दूर करते तथा मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा देने का प्रयास करनेवाले सर सैय्यद अहमद खाँ थे। ये शुरू से ही काँग्रेस का विरोध करते थे, और उन्होंने मुसलमानों को काँग्रेस से अलग रहने के लिए कहा था।

में उन्होंने एक सन् 1857 को मोहमडन ऑरियन्टल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना की। जो आगे चलकर सन् 1920 में मुस्लिम विश्वविद्यालय (अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी) बन गया।

4.13 शायर इकबाल का योगदान

डॉ. इकबाल एक काश्मीरी ब्राह्मण वंश के थे। और इसका वे गर्व भी किया करते थे। किंतु इकबाल ने ही ‘पाकिस्तान’ बनाने का विचार मुस्लिम लीग को दिया था। पहले से वे राष्ट्रवादी थे। उन्होंने लिखा है -

“सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले है इसकी ये गुलिस्तां हमारा । मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है, हिंदोस्ता हमारा ।”²⁹

यही इकबाल जब खिलाफत आंदोलन के प्रभाव में आए और इस्लामी सिद्धांतवाद के पोषक बने । मुस्लिम राष्ट्रवाद और इस्लामवाद के प्रवक्ता बने । राष्ट्रवादी से संप्रदायवादी और अलगाववादी मुस्लिम बनने का यह बदलाव उनकी खिलाफत आंदोलन के बाद लिखी हुई कविताओं में दिखाई देता है ।

इकबाल ने सन् 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में हिंदुस्तान का विभाजन करके इस्लामी राज्य के रूप में पाकिस्तान बनाने का तार्किक आधार पेश किया था । मुस्लिम हितों की सुरक्षा एक पृथक राज्य की स्थापना द्वारा ही संभव है । ऐसे मतों का प्रचार किया था । इस्लामी सिद्धांतों के ज्ञान और उसमें आस्था से डॉ. इकबाल जैसे पढ़े-लिखे मुसलमानों में यह बदलाव आया तो साधारण मुसलमानों के मानस पर उसके प्रभाव की कल्पना सहज ही की जा सकती है ।

इकबाल ने लिखा था - “सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा . . . पर देखते देखते वह इंसान शैतान में बदल गया . . . और तब उसने अपने तराने को बदला -

“चीनों -अरब हमारा, हिंदोस्ता हमारा,

मुस्लिम हैं हम वतन है, सारा जहाँ हमारा ।”³⁰

इकबाल के ऐसे काव्य ने हिंदू-मुस्लिम में सांप्रदायिक तनाव निर्माण हुए जिसके फलस्वरूप मुसलमानों ने ‘पाकिस्तान’ की मांग को पूर्ण समर्थन दिया ।

4.14 बंगाल का विभाजन

अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों के मतभेदों का पूरा लाभ उठाया । ‘फूट डालो और राज्य करो’ को शासन की नीति का आधार बनाया । सन् 1905 ई.में बंगाल का विभाजन किया । जिससे हिंदुओं में बड़ी उत्तेजना फैल गई । अंग्रेजी सरकार ने पूर्वी बंगाल के मुसलमानों को हिंदुओं के विरुद्ध भड़काया और सांप्रदायिक दंगे करवाए ।

मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया और काँग्रेस द्वारा इसके विरोध में चलाए गए आंदोलन का विरोध किया बहुत से मुसलमानों ने बंगाल विभाजन का विरोध किया। इसीलिए लॉर्ड कर्जन कहता है -“जो काम आज माउंटबेटन ने किया है, उसकी शुरुआत मैंने सन् 1905 में ही कर दी थी मैंने हिंदू-मुसलमानों का बँटवारा करके तभी बंगाल को विभाजित कर दिया था। लेकिन बंगाल के मुसलमान अपना भविष्य देख नहीं पा रहे थे। उन्होंने बंगाल के विभाजन खारिज कर दिया। तब मैंने बंग-भंग वापस लेकर ढाके के नवाब से कहाँ था कि हिंदू वर्चस्व से बचने के लिए अपनी अलग मुस्लिम पार्टी बनाए।”³¹

4.15 मुस्लिम लीग का उदय

मुहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, हिंदू और मुसलमान दो पृथक-पृथक राष्ट्र हैं। उनके धार्मिक दर्शन, सामाजिक रीति रिवाज, साहित्य पृथक पृथक हैं। वे आपस में विवाह नहीं करते, भोजन नहीं करते और वास्तव में वे ऐसी सभ्यताओं से संबन्ध रखते हैं जिनका आधार एक-दूसरे की विरोधी धारा है। उनके राष्ट्रीय नेता अलग-अलग हैं। उनका इतिहास विचार धारा परंपराएँ भी अलग हैं। अतः इस उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए इसके अतिरिक्त कोई और चारा नहीं है कि इसको बांट कर पाकिस्तान की स्थापना की जाए।” जिन्ना के इस सांप्रदायिक विचारों को मुस्लिम जनता ने तथा ब्रिटिश सरकार ने निरंतर प्रोत्साहन दिया। जिसके फलस्वरूप 30 दिसंबर 1906 ई. को नवाब सलीम उल्ला खाँ ने भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना की। मुस्लिम लीग का मूल उद्देश्य काँग्रेस का विरोध करना और अंग्रेजों का समर्थन करना यही था। यद्यपि लीग ने शुरू से काँग्रेस का विरोध किया फिर भी कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई कि लीग को काँग्रेस से समझौता करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

4.16 काँग्रेस -लीग समझौता

“काँग्रेस से मुस्लिम लीग ने सन् 1916 में लखनऊ में एक समझौता किया। इसमें मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात से अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात काँग्रेस ने लीग को संतुष्ट करने के लिए स्वीकार कर ली। इससे हिंदू-मुस्लिम एकता को बल मिला। प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के पश्चात् टर्की के खलीफा के सम्मान की

रक्षा के लिए मुसलमानों ने 'खिलाफत आंदोलन' चलाया जिसमें गांधीजी ने पूर्ण सहयोग दिया। और जब गांधीजी ने 'असहयोग आंदोलन' चलाया तो मुसलमानों ने पूर्ण सहयोग दिया।³² यही सांप्रदायिक एकता की प्रथम और अंतिम घटना थी।

4.17 भारत में मुस्लिम सांप्रदायिकता का विकास

सन् 1921 ई. तथा सन् 1922 ई. में विभिन्न स्थानों पर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। इससे हिंदू-मुस्लिम एकता को आघात पहुँचा। सन् 1927 ई. में साईमन कमीशन की नियुक्ति की गई। इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे इसीलिए काँग्रेस ने इसके विरोध में हड़ताल जुलूस एवं प्रदर्शन किए। परंतु मुस्लिम लीग ने काँग्रेस का साथ नहीं दिया। तीनों गोलमेज सम्मेलनों तक मुहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग का प्रभावी नेता बन चुका था। उसके सांप्रदायिक विचारों के कारण मुस्लिम लीग और काँग्रेस का समझौता असंभव हो गया था। मुहम्मद अली जिन्ना का मानना था कि "हिंदू और मुसलमान दो विभिन्न राष्ट्र हैं। काँग्रेस हिंदुओं की प्रतिनिधी संस्था है, जिसे मुसलमानों की प्रतिनिधित्व करने का कोई अधिकार नहीं है। मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की प्रतिनिधी संस्था है।"³³

सन् 1935 के अधिनियम के अनुसार सन् 1937 के चुनावों में काँग्रेस और मुस्लिम लीग ने भाग लिया और इसमें लीग को आशातीत सफलता नहीं मिली। तब मुस्लिम लीग ने काँग्रेस के खिलाफ यह प्रचार प्रारंभ किया कि हिंदू राज्य में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं। 'इस्लाम खतरे में है' की भावना को मुसलमानों के दिलों-दिमाग में बिठाया।

दूसरे विश्वयुद्ध के प्रारंभ होते ही ब्रिटिश सरकार ने काँग्रेसी मंत्री मंडल के सहमति बिना भारत को युद्ध में शामिल कर दिया। तो उसके विरोध में काँग्रेस मंत्री-मंडल ने त्याग-पत्र दे दिए। इसके बारे में जिन्ना ने कहा - "भारतीय मुसलमानों को हिंदुओं के अत्याचार अन्यायपूर्ण तथा क्रूर शासन मुक्ति प्राप्त हुई।"³⁴ जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों से 22 दिसंबर, 1939 को 'मुक्ति दिवस' मनाने की अपील की। जिन्ना की हठधर्मन्ता के कारण लीग और काँग्रेस के संबंध निरंतर खराब होते गए। सन् 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया। सन् 1942 में 'क्रिप्स प्रस्ताव'

को मुस्लिम लीग ने इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। 8 अगस्त, 1942 को कांग्रेस ने 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया। तो लीग ने इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग "बाँटो और भागो" का नारा बुलंद किया। कांग्रेस के सभी शीर्षस्थ नेता जेलों में थे। उसका लाभ उठाकर जिन्ना ने पाकिस्तान के पक्ष में काफी प्रचार किया।

इस सांप्रदायिक समस्या को हल करने के लिए राजगोपालचारी ने एक प्रस्ताव रखा, परंतु लीग ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि वह उनकी इच्छानुसार पाकिस्तान का निर्माण नहीं करता था। लीग 2 जून, 1946 ई. केबीनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया। और अपनी मांग मनवाने के लिए सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी। परिणामस्वरूप देश में चारों ओर सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। 16 अगस्त, 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप से निश्चित हुआ। उसी दिन कलकत्ता में दंगे भड़क उठे। 1 सितंबर को बंबई में सांप्रदायिक दंगे हुए। आगे बिहार, नौआखाली (ईस्ट बंगाली) गढ़ मुक्तेश्वर पंजाब यही पर सांप्रदायिक दंगों का भूचाल आया। देश में अराजकता फैल गई। लीगी नेताओं से सीखकर मुस्लिम चिल्लाने लगे "लढ़के लेंगे पाकिस्तान, बँट के रहेगा हिंदुस्तान" लाहौर, अमृतसर, मुलतान, अटक रावलपिंडी में सांप्रदायिक दंगे हुए।

इस समय ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवल के स्थान पर मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। खून-खराबे से बचने के लिए समूचे स्वातंत्र्य संग्राम को अहिंसा पर आधारित किया गया। ब्रिटिश साजिश से सांप्रदायिकता पनपती रही, रक्तपात होता रहा। यदि विभाजन को और अधिक देर तक टाला जाता तो भारत में मुस्लिम लीग प्रेरित जबरदस्त गृहयुद्ध होता।

4.18 भारत का विभाजन और सांप्रदायिक दंगे

मुस्लिम लीग ने सारे देश में सांप्रदायिक दंगे शुरू करवा दिए, जिससे हजारों लोग मर रहे थे। माउंटबेटन ने यह अनुभव किया कि भारत को विभाजित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। इन भीषण और सांप्रदायिक दंगों को देखकर जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल भी भारत विभाजन के लिए सहमत हो गए। गांधीजी विभाजन के

लिए सहमत नहीं थे, उन्होंने कहा था, “पाकिस्तान मेरी लाश पर बनेगा।” पर हो रहे सांप्रदायिक दंगों के कारण विभाजन को उन्होंने मान लिया। बँ. जिन्ना से माउंटबेटन कहते हैं कि “3 जून को भारत विभाजन की घोषणा कर देना चाहता हूँ . . . आप पाकिस्तान माँग रहे थे। हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं। दुनिया जानती और मानती है कि पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता था।”³⁵

माउंटबेटन ने 3 जून, 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत कर दी। इसे क्रियान्वित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई, 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया। जो 15 अगस्त, 1947 ई. को लागू हुआ। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र अस्तित्व में आ गए। इस विभाजन से सांप्रदायिक दंगे हुए। एक सुनियोजित षड़यंत्र के कारण देश का विभाजन हुआ। फलतः देश में निर्दोष व्यक्तियों का खून बहाया गया। जिन्ना को काटा-पिटा दीमक लगा पाकिस्तान मिला। वह उस पाकिस्तान को प्राप्त नहीं कर सका, जिसकी कल्पना सन् 1930 में इकबाल ने की थी। भारत विभाजन के पश्चात् पाकिस्तान में जो घटनाएँ घटित हुईं और भारत में जो उसकी प्रतिक्रिया हुई, उनसे इतिहास कलंकित हुआ है।

भारत ने आजादी के दुख और सुख का जश्न और नरसंहार का नजारा एक साथ देखा। अंग्रेज अफसर वापस जाने की तैयारी कर रहे थे। आर्मी अफसरों का बँटवारा भी होने लगा। दिल्ली छावनी से हिंदू-सीख अपने मुसलमान साथियों को विदा दे रहे थे। भारतीय छावनी से जाने वाले मुसलमान फौजियों में असमंजस और ऊहापोह सबसे ज्यादा था। उन्हें किसी भी देश में रहने और चुनने की आजादी दी गई थी। लेकिन पाकिस्तान में हालात दूसरे थे। वह देश इस्लाम और मुसलमान कौम के नाम पर बना है। वहाँ औरों के रूकने का सवाल ही नहीं। पूरी भारतीय फौज धर्म निरपेक्ष थी। सारे सिपाही सिर्फ हिंदुस्तानी थे। वे हिंदू, मुसलमान, सीख, ईसाई या पारसी नहीं थे।

विभाजित हो चुकी पेशावर की छावनी में अपने साथियों को विदा देते कर्नल इदरीस का बयान - “मेरे साथी अफसरान जवान दोस्तों। यह बँटवारा हमारे दिलों को नहीं बाँट सकता . . . दूसरी आलमी जंग में हमने साथ-साथ खून बहाया है। अपने

शहीदों को साथ-साथ सलाम किया है। फतह के परचम हमने साथ-साथ फहराएँ हैं। आप कहीं भी जाएँ हमारा खून और शहादन का रिश्ता नहीं टूट सकता। क्योंकि हम भाई - भाई हैं और हमेशा रहेंगे।”³⁶

विभाजन के दौरान सिंध में पंजाबी मुसलमानों ने भयानक मार काट की। पंजाबी मुसलमान तब भी जाहिल थे और आज भी उनकी जहालत कम नहीं है। उसी प्रकार मेरठ अहमदाबाद, बडौदा, कानपुर आदि जगहों पर भी सांप्रदायिक दंगे हुए। जिनमें खून की होली खेली गई। इस खूनी माहौल पर प्रकाश डालते हुए कमलेश्वर ने लिखा है कि “आसमान की आँखें सुखी हुई थी। उनमें एक बूंद भी पानी नहीं था। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने सूचना दी थी कि इस बार धरती वर्षा के पानी से नहीं मानव रक्त की बरसात से सींची जाएगी।”³⁷ और यह सच भी हुआ। आजादी के साल पानी की जगह मानव रक्त की बरसात हुई। सांप्रदायिक दंगों की बाढ़ ही आ गई।

सांप्रदायिक दंगों में हो रहे खून-खराबे को देखकर हिंदुस्तान के आखरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन का कहना है कि “सच तो यह है कि इतना नरसंहार देखकर मैं भी विचलित हूँ... दूसरे विश्वयुद्ध में बर्मा के फ्रंट पर भी इतना खून -खराबा नहीं हुआ था, जितना इस विभाजन में हुआ और होने जा रहा है।”³⁸ इसी तरह लाशों ने अपनी सरहदे तय कर दी। नेहरू और पटेल को लँगडा भारत सौंप दिया गया और जिन्ना को दीमक लगा पाकिस्तान मिल गया।

इस तरह कमलेश्वर ने ‘कितने पाकिस्तान’ के अतर्गत भारत विभाजन और सांप्रदायिक दंगों का चित्रण किया है। साथ में अन्य देशों में भी बढ़ती हुई सांप्रदायिकता का उल्लेख किया है। जैसा कि ईजिप्त का गौरवशाली इतिहास और मानवी सभ्यता की नींव मुसलमान कट्टरपंथियों और आंतकवादियों के भय से थरथरा रही है। इस्लामिया और जेहाद जैसे अंधे इस्लामवादी संगठन सामान्य आदमी की जिंदगी पर कहर ढाह रहे हैं। मिस्त्र का मुल्ला शेखउमर अब्दुल रहमान, उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी योरूप, अल्जीरिया और टर्की को हिला कर रखने की धमकी देता हैं। मतलब मजहब के नाम पर मुसलमान मुसलमान के बीच भी पाक नापाक का भेद करना चाहते हैं। इराण और

इराक दो मुसलमान देश पिछले आठ साल से लड़ते रहे हैं। युगोस्लाविया में तीन पाकिस्तान बन गए। वहाँ की तीनों जातियाँ (क्रोट, सर्ब और मुसलमान) एक साथ रहना नहीं चाहते। सराजेवो शहर में क्रिस्पियंस ने मुसलमानों को खुद से अलग किया है। अफगाणिस्तान को तालिबान ने बर्बाद कर दिया है। हेरनांडो कोर्टेस ने मैक्सिको की माया सभ्यता ध्वस्त किया था। अमरीका नित्रिडाड, कनाडा, क्युबा, पनामा, ब्राजील, पेरू आदि भुखंडों में रहनेवाले इंडियन कबीलों का सफाया करके हेरनांडो कोर्टेसने अफ्रिका के नीग्रों को व्यापार के लिए लाया।

अर्थात् “युरोप के सारे देश -स्पेन, पुर्तगाल,हालैंड इंग्लैंड, फ्रांस सत्ता लोलुपता भौतिक सुख और मुनाफे की तलाश में हिंसक धर्म युद्धों को जन्म देते रहे हैं . . धर्म को इन्होंने सत्ता का हाथियार बनाया है।”

इस तरह कमलेश्वर ने ‘कितने पाकिस्तान’ के अतर्गत भारत में चित्रित सांप्रदायिकता के साथ-साथ पूरे विश्व में चल रही सांप्रदायिकता पर प्रकाश डाला है। इस सांप्रदायिकता ने भारत पाकिस्तान बना दिया। लोगों के दिलों -दिमाग में अलगाववाद की भावना भर दी गई। इसी कारण दुनिया में पाकिस्तान बन रहे हैं।

निष्कर्ष :-

भारत विभिन्न जातियों प्रजातियों की ही नहीं वरन् अनेक धर्मों की जन्मभूमि रहा है। हिंदू, जैन, बौद्ध, एवं सिक्ख धर्मों का उदय भारत में ही हुआ है। प्रत्येक धर्म में मतमतांतर हैं और उनके अनुयायी हजारों वर्षों से साथ-साथ रहते हैं। इन धर्मों में हमें भिन्नता दिखाई देती हैं किन्तु सभी के मूल सिद्धांतों में समानता हैं। सभी धर्म अध्यात्मवाद ईश्वर, नैतिकता, दया, ईमानदारी सत्य, अहिंसा आदि मौलिक सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय की भावना ने ही सभी लोगों में एक होने का भाव पैदा किया है।

लेकिन वर्तमान युग में सांप्रदायिकता की धारण में धार्मिक अंध भक्ति के साथ राजनीतिक उद्देश्य भी जुड़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि आज सांप्रदायिकता का उपयोग खुलकर राजनीतिक स्वार्थों को पूरा करने के लिए किया जाने लगा है। इस प्रवृत्ति

को स्पष्ट करते हुए पंडित नेहरू ने कहा था कि - “सांप्रदायिकता संगठन धर्म के लिए कुछ काम नहीं करते, नैतिकता की बात करते हैं। लेकिन नैतिकता से कोसों दूर रहते हैं, यह आर्थिक समूह भी नहीं होते अपने को अराजनीतिक कहने के बाद भी केवल राजनीतिक ही होते हैं।” इस दृष्टिकोण से सांप्रदायिकता का परिवर्द्धित रूप के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सांप्रदायिकता एक ऐसी संघर्षपूर्ण मनोवृत्ति है जिसके अंतर्गत एक विशेष धर्म अथवा संप्रदाय के अनुयायी अपने आर्थिक तथा राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए अपने समूह को अन्य धार्मिक समूह के विरुद्ध, संगठित करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें उग्र प्रदर्शनों तथा हिंसा के लिए भड़काते हैं। इसका वर्तमान उदाहरण अयोध्या का राम मंदिर संघर्ष है।

‘कितने पाकिस्तान’ के अंतर्गत कमलेश्वर ने सांप्रदायिकता का चित्रण किया है। संप्रदाय का आधार धर्म है। वर्णव्यवस्था के कारण सांप्रदायिकता बढ़ती है। कमलेश्वर ने प्रस्तुत उपन्यास में वर्णव्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। अर्यों का आगमन तथा उनके द्वारा प्रस्थापित वर्णव्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शुद्र आदि का ब्रह्मा के अंगों से निर्माण वे विश्वास नहीं करते। इसीलिए एक जगह उन्होंने लिखा है कि आर्यों ने ही खुद अपने मजहब को सील बंद करके तोड़ा है। उन्होंने वर्णाश्रम धर्म बना लिया। माँ की कोख का अपमान करते हुए मनुष्य को ब्रह्मा के अलग-अलग अंगों से पैदा होने का सिद्धांत प्रस्तुत किया।

ब्राह्मणों ने अपने आपको ब्रह्मा के मुख से पैदा होने की बात कही है। इसीलिए वे अन्य तीनों वर्णों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। शुद्रों का जन्म ब्रह्मा के पैर से होने के कारण वह अन्य तीनों से कनिष्ठ हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन वर्णों के सभी कामकाज शुद्र ही करते हैं। ब्राह्मणों द्वारा लिखे हुए वेद उपनिषद के बारे में उपन्यासकार का कहना है कि - “उपनिषद् और कुछ नहीं . . . वे ब्राह्मणवादी अत्याचारों, वर्णवादी अनाचारों और ईश्वरवादी आस्था को स्थापित करनेवाले पश्चाताप के ग्रंथ हैं। इस तरह अर्यों ने सांप्रदायिकता की नींव डाल दी। सत्युग के राजश्रम ने भी क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए ब्राह्मण धर्म की रक्षा के लिए शुद्रवंशी शंबुक जैसे तपस्ती की गर्दन धड़ से अलग कर दी थी वैदिक युग में सिर्फ ‘शुद्रवंशी’ को शुद्र नहीं माना जाता बल्कि स्त्रियों को भी शुद्र

ही माना जाता था। जैसे गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या बेकसुर होते हुए भी उसे गौतम ऋषि ने शाप देकर पत्थर की मूर्ति बना दी थी। विलासी आर्यों ने औरत को हमेशा पुरूष की संपत्ति माना है। इन ब्राह्मणों ने अपने श्रमजीवियों को शुद्र बनाया।

‘कितने पाकिस्तान’ में कमलेश्वर ने भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश तथा इस्लाम राज्य की स्थापना करनेवाले बाबर पर प्रकाश डाला है। यहाँ के राजा राणा सांगा और इब्राहीम लोदी के चाचा दौलत ख़ाँ ने बाबर को भारत बुलाया था। बाबर के आने के पूर्व ही इस्लाम यहाँ मौजूद था। इब्राहीम लोदी मुसलमान ही था। बाबर के कालखंड में धर्म को इतना महत्त्व नहीं दिया जाता था। जितना साम्राज्य तथा राजगद्दी को। जब बाबर ने हिंदुस्तान पर आखरी हमला किया तो मजहब या धर्म का सवाल ही नहीं था। वो तो सल्तनत की लड़ाई थी और मुसलमान खुद मुसलमान से लड़ा था। तब हिंदू-मुस्लिम जाति का सवाल नहीं था। मगर अंग्रेजों ने भारत आगमन के बाद अपने साथ पादरीयों को भी ले आए थे। धर्म प्रसार करना यह उनका उद्देश्य था। साथ में व्यापार के साथ-साथ अपनी हुकूमत के लिए अंग्रेज क्रियाशील रहे। साम्राज्य विस्तार के लिए यहाँ के लोगों को आपस में भड़काकर उनमें सांप्रदायिक द्वेष फैलाने की नीति अंग्रेजों की थी। इसके लिए उन्होंने जो इब्राहीम लोदी ने अयोध्या में खाली जगह पर बनवायी हुई बाबरी मस्जिद को बाबर द्वारा राममंदिर तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाने वही घटना पर जोर दिया। ताकि हिंदू-मुस्लिम में फूट पैदा हो और इस सांप्रदायिक स्थिति का वे लाभ उठा सकें। इसके लिए अंग्रेजों ने हर संभव स्थिति का फायदा उठाया। जैसे कि बाबरी मस्जिद पर लिखा हुआ शिला लेख जो बाबर के पूर्णतया निर्दोष साबित कर सकता था। ब्रिटिशों ने उसे मिटा दिया। साथ में बाबरनामा के वे पन्ने ही गायब किए जो बाबर को अयोध्या जाने के बजाय अपने परिवार साथ रहने पर प्रकाश डालते थे। ब्रिटिशों ने अपने स्वार्थ के लिए हिंदू-मुस्लिम झगड़े की हमेशा जिंदा रखा। विभाजन के लिए उनकी यही फूट डालो और राज्य करो की नीति काम आई।

कमलेश्वर ने उपन्यास ‘कितने पाकिस्तान’ में उत्तराधिकार युद्ध का तथा सत्रहवीं सदी के धर्म निरपेक्षक तथा धर्मांध राजा तथा महाराजाओं पर प्रकाश डाला है। कमलेश्वर ने एक तरफ ‘अनेकेश्वरवादी’ दारा के चरित्र पर प्रकाश डाला है, तो दूसरी तरफ

धर्माध औरंगजेब पर भी। वैसे शहाजहाँ के वंश में औरंगजेब सर्वाधिक योग्य सम्राट था। एक सैनिक की दृष्टि से वह साहसी और पराक्रमी तो था ही, परंतु प्रत्येक अस्त्र, शस्त्र चलाने में भी कुशल था। सेनापति की दृष्टि से वह बहुत चालाख और रणकुशल सेनानायक सिद्ध हुआ था। वह एक परिश्रमी और दृढ़ निश्चयी प्रशासक था। औरंगजेब ने मुगल शासन तंत्र में सुधार कर शासन में व्याप्त अनुशासनहीनता और दोषों को दूर करने का प्रयास किया। कई प्रकार के करों को समाप्त कर दिया। उसमें योग्य शासक के सभी गुण विद्यमान थे।

परंतु औरंगजेब न अच्छा पुत्र, न पिता, न अच्छा भाई न मित्र और न अच्छा बादशाह बन सका। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। प्रथमतः राजनीति में उदार होना उसकी नीति के विरुद्ध था। और दूसरे वह संदेही प्रकृति का व्यक्ति था। अपने जीवन में उसने कभी किसी पर भरोसा नहीं किया। परिणामस्वरूप उसे शासन के सभी कार्य स्वयं को ही देखने पड़े। कोई भी व्यक्ति उसके प्रति स्वामिभक्त और निष्ठावान नहीं हो सका और किसी भी व्यक्ति को यह योग्यता उसके समय प्राप्त नहीं हो सकी। क्योंकि संदेही औरंगजेब किसी की बढ़ती हुई योग्यता को सह नहीं सकता था। इसीलिए मुगल सरदारों ने सिंहासन के प्रति वफादारी और निष्ठा की भावना को समाप्त कर दिया।

आज तक इतिहासकारों तथा विद्वानों ने औरंगजेब को ही कट्टर धर्माध के साथ कुटनीतिज्ञ माना था। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में हर शहजादा अपनी तरफ से कोई ना कोई कूटनीति चलाता चल रहा था। जैसे कि शहाजहाँ की बीमारी के बाद दारा ने उन्हें अपने काबू में ले लिया। इसीलिए शाही फौजें अन्य शहजादों को परास्त करने के लिए दारा कि हुक्म से निकली थी जैसे औरंगजेब और मुराद की ताकद ने उन्हें तोड़ा था। मुराद का दिमाग फतह हासिल करने के बाद खराब हो गया। वह सोचने लगा था कि वह औरंगजेब, दारा और शुजा को परास्त करके हिंदुस्तान के तख्त को हासिल कर लेगा। इसीलिए उसने औरंगजेब की फौज के अहम सैनिक सरदारों को तोड़ना शुरू किया था।

धर्म का सहारा लेकर औरंगजेब ने दारा को मौत के घाट उतार दिया और राजगद्दी हासिल की। जब औरंगजेब ने धर्म का सहारा लिया तो वह मन ही मन में कुढ़ता

रहा। उसकी मनोवैज्ञानिक गुत्थी को समझना चाहिए। आम तौर पर ऐसा होता है कि आस्तिक लोग सहज भाव से मजहब की ओर जाते हैं। या फिर वो लोग मजहब की तरफ दौड़ते हैं जो जानते हैं कि मजहब के नाम पर हमने पाप किया है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान का ताज हासिल करने के लिए जो जघन्य अपराध किए थे, उसकी ही इसका पाप-बोध बन गया। पाप बोध की इस कुंठा से मजहब की ओर मोड़ गया और मुल्लाओं उल्लेमाओं का गुलाम बन बैठा।

सर्वप्रथम औरंगजेब ने मुगल दरबार से शिया और हिंदू रीति-रिवाजों को समाप्त किया। सिखों पर कलमा खुदबाना निषिद्ध कर दिया, नौरोज का पर्व मनाना बंद कर दिया। तुलादान और झरोखा-दर्शन बंद कर दिया, दरबार से गाने और नाचनेवालों को विदा कर दिया। मद्यपान और जुआ खेलना निषिद्ध कर दिया। सती-प्रथा पर रोक थाम लगा दी। वेश्याओं को पेशा छोड़ देने के आदेश दिए। और दरबार में हिंदू त्यौहारों को मनाना बंद कर दिया। उसने बड़े-बड़े नगरों धर्म-निरक्षकों को नियुक्त किया जिनका मुख्य काम यह देखना था कि मुसलमान लोग ठीक ढंग से अपने धर्म का पालन करते हैं अथवा नहीं। इस्लाम द्रोहियों को दंड देना उसने अपना कर्तव्य माना था।

इसके बाद औरंगजेब ने गैर मुसलमानों की तरफ ध्यान दिया। इस धर्मांध ने एक शाही फरमान जारी किया “हिंदू मंदिरों, मूर्तियां और विद्यालयों को तोड़ दिया जाए।” परिणामी स्वरूप समूचे साम्राज्य में यहाँ तक कि कई अधीनिस्थ हिंदू राज्य में भी असंख्य मंदिर तोड़ दिए गए। जिसमें काशी के विश्वनाथ का मंदिर, मथुरा के केशवराय का मंदिर पाटन का नवनिर्मित सोमनाथ का मंदिर मुख्य थे। कई स्थानों पर मंदिरों के जगह मस्जिदें खड़ी कर दी गईं। सन् 1671 में फिर नया शाही फरमान जारी किया “सरकारी दफ्तरों से हिन्दू कर्मचारीयों को निकाल दिया जाए।” परंतु उनके स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम कर्मचारी कहाँ से आते।

औरंगजेब ने मुस्लिम व्यापारियों को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया था और हिंदू व्यापारियों पर ‘कर’ बढ़ा दिया था। औरंगजेब ने हिंदू जनता को सताया। उन पर 1679 ई.में. ‘जाजिया’ कर लागु कर दिया। क्योंकि वह (हिंदू जनता) यह समझ ले कि

वह रियाया हैं, और उन्हें मुस्लिमों की बरोबरी करने का कोई अधिकार नहीं है। इस कर से हिंदुओं पर सबसे जबरदस्त चोट पहुँची। औरंगजेब ने हर संभव दबाव डालने का प्रयास किया ताकि हिंदू इस्लाम को अपना ले।

औरंगजेब उल्लेमाओं के साथ रहकर इतना धर्मांध बन गया कि कोई हिंदू रसूल (भगवान) बारे में भी कुछ नहीं कहता था। बिहार के छबीला नामक ब्राह्मण ने रसूल के विरुद्ध कुछ अनुचित बात कही तो उसे प्राणदंड देकर नरक भेजने का आदेश साहुल्ला खाँ को औरंगजेब ने दिया। ताकि मुसलमानों के प्रति न्याय हो और हिंदुओं को धर्म विरोधी सजिशों के लिए सजा दी जा सके। औरंगजेब ने हिंदुओं की 'राम-राम' यह नमस्कार की पद्धत बंद करके उसकी जगह 'अस्सलाम वालेकुम' का प्रयोग करने का आदेश दिया।

औरंगजेब ने चाहे अकबर की सब नीतियाँ त्याग दी हों परंतु भारत के राजनीतिक एकीकरण की नीति को नहीं त्यागा। जब वह बादशाह बना उस समय दक्षिण भारत का बहुत सा भाग मुगल साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। उस समय दक्षिण में तीन मुख्य शक्तियाँ थी - बीजापुर, गोलकुंडा और मराठे। बीजापुर और गोलकुंडा शिया राज्य थे। बीजापुर में आदिलशाही तो गोलकुंडा में कुतुबशाही का शासन था। औरंगजेब भी शहाजहाँ की भाँति इस शियाओं की इन स्वतंत्र राज्यों को सह नहीं कर सकता था। औरंगजेब ने धार्मिक और राजनीतिक उद्देश्यों से ही उन पर आक्रमण किया और अपने अधीन बना लिया।

औरंगजेब हफ्ते में तीन दिन रोजा रखता था। कुरान शरीफ की प्रतियाँ लिखता और नमाजियों की टोपियाँ सिलता था। फिर भी वह इस्लाम को नहीं मानता था। अगर वह इस्लाम को मानता तो दारा और मुराद को मारकर और शुजा को बर्मा की तरफ खदेड़कर औरंगजेब खुद शहशाह कभी न बनता। औरंगजेब ने पाक कुरान और अल्लाह की कसम खाकर मुराद को अपना शहशाह माना था। लेकिन उसी मुराद को औरंगजेब ने अफीम का पानी पिला - पिलाकर मारना चाहा। मगर वह उस पानी से मरा नहीं तो औरंगजेब ने उसे जल्लादों से मरवा दिया। उसे दारा की मौत के बाद औरंगजेब ने अपने-

आपको धर्मांध दिखाने का प्रयास किया। इसीलिए उसके दरबार में ऐसे उल्लेमाओं का जमाव रहता था। आगे गुरु तेग बहादूर ने धर्मांतरण नांमूजर किया तो औरंगजेब उन्हें मौत की सजा सुना दी।

इसप्रकार धार्मिक शक्ति का औरंगजेब ने पहलीबार इस्तेमाल किया वह भी अपने स्वार्थ के लिए मानना पड़ेगा कि औरंगजेब मुसलमान तो था, पर वह इस्लाम का बंदा नहीं था। एक जालिम धर्मांध बादशाह था।

मुगल बादशाह जहाँगीर के कालखंड में अंग्रेज व्यापार के लिए भारत आए। इस कालखंड के पूर्व जितने भी विदेशी यहाँ आए थे, वे यहाँ के ही हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी संस्कृति छोड़कर भारत की संस्कृति से नाता जोड़ा। अंग्रेज ही ऐसे थे जो बसे तो हिंदुस्तान में थे पर उनका दिल इंग्लैंड में था। वे यहाँ राज्य करने आए थे और लुटने। एक हाथ में तराजू और एक हाथ तलवार यहाँ आकर बसते ही धीरे-धीरे यहाँ के राजपाट में उन्होंने हिस्सा लेना शुरू किया। इससे गटबाजी की शुरूआत हो गई। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने अंतर्गत कलह को बढ़ावा दिया। आपसी मतभेद और बढ़ते गए। गोदाम के नाम पर फॅक्टरी और उसके नाम पर किले बनाना उसकी हिफाजत के लिए सैन्य रखना, यह अंग्रेजों की एक सोची समझी चाल थी। धीरे-धीरे अंग्रेजों ने इस देश के मधुर वातावरण को फूट के जहर से विषाक्त बना दिया। लोगों के दिलों दिमाग में अलगाववादी भावना पनपती गई। एक-दूसरे के प्रति देखने का नजरिया बदल गया। जहाँ बंधुत्व की भावना थी वही शत्रुत्व के भाव दिखाई देने लगे। अंग्रेजों की फूट नीति ने सबसे पहले देश की सांप्रदायिक एकता को नष्ट किया। और धीरे-धीरे समाज इस सर पर इसे लागू करके देश की महान् संस्कृति को विकृत करने का प्रयास किया। 1857 ई. तक हिन्दू - मुस्लिम एकता के सूत्र में बंधे थे। इसी एकता के कारण उन्होंने ब्रिटिश सत्ता के साथ 1857 का रणसंग्राम छोड़ा था। अंग्रेज इसी एकता से डरे हुए थे। इसीलिए हर संभव तरीके से हिंदू - मुस्लिम में फूट पाड़ना उनका ध्येय था। फिर शुरू हुआ था ब्रिटिश साजिशों का दौर।

अंग्रेजों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमिमंदिर के झगड़े को जिंदा रखा। ताकि हिंदू - मुस्लिम में एकता न हो। साजिशों के तहत अपनी सत्ता का मोहरा

बीमार जिन्ना को बनाया। क्योंकि बीमार जिन्ना ही ऐसे व्यक्ति थे जो पंडित नेहरू और गांधी जैसे बड़े बुद्धिवालों का मुकाबला कर सकते और वे ही द्विराष्ट्र का सिद्धांत रख सकते थे।

अलग पाकिस्तान की योजना में जिन्ना का योगदान पहले नगण्य था। सर्वप्रथम पाकिस्तान का विचार सन् 1903 ई.में. मोहम्मद इकबाल ने प्रस्तुत किया। इकबाल के विचारों से प्रभावित होकर सन् 1933 में केब्रिज विश्वविद्यालय के विद्यार्थी चौधरी रहमत अली के नेतृत्व में एक योजना प्रकाशित की। 1939 ई.में सिकंदर हयात खाँ ने पाकिस्तान के निर्माण संबंधी विचारों पर प्रकाश डाला। और फिर 1940 ई. को लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया गया।

कवि इकबाल ने ही पाकिस्तान का विचार क्यों किया? जब कि उन्होंने ही राष्ट्र का गौरव गान करते हुए सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा नामक राष्ट्रगीत लिखा था। फिर वही इकबाल 1920 के खिलाफत आंदोलन के बाद बदल गया। उन्होंने अपना गीत बदल कर मुस्लिम हैं हम वतन है सारा जहाँ हमारा, चीन-ओ-अरब हमारे, हिंदोस्ता हमारा। ऐसा किया। इसके पिछे यह तथ्य है -

प्रथम विश्व-युद्ध के दौरान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने देश-देशांतर घूमते हुए अपने अध्यात्मिक गीत सुना - सुनाकर जनता को मोहित किया था, उन्हीं दिनों डॉ. इकबाल का सबसे प्रसिद्ध गीत 'सारे जहाँ से अच्छा' भारतीयों की जबान पर चढ़ चुका था। 1912 में इकबाल की कविताओं से प्रसन्न होकर स्वीडिश अकादेमी ने नोबेल पुरस्कार के लिए इकबाल की चुनी हुई कविताओं का अंग्रेजी अनुवाद माँगा था। इसी अकादेमी के वरिष्ठ सदस्य सी.एफ़. ऐन्ड्रूज महात्मा गांधी के परमभक्त थे। और वे जानते थे कि गांधीजी श्रद्धा से टैगोर को 'गुरुदेव' कहते हैं। इसीलिए ऐन्ड्रूज ने टैगोर को व्यक्तिगत पत्र लिखकर उनसे सारे गीतों का अंग्रेजी में अनुवाद माँग लिया। जिसे 'गीतांजली' नाम से जाना जाता है। इधर इकबाल ओर जिन्ना अपनी घृणित राजनैतिक लुटपाट में व्यस्त रहे। ऐन्ड्रूज की शिफारिसों के आधार पर सन् 1913 में स्वीडिश - अकादेमी ने कविवर रविंद्रनाथ टैगोर को 'गीतांजली' पर साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान

किया गया। इससे इकबाल का दिल टूट गया। वे इतने उत्तेजित हुए वे हिंदुओं के कट्टर विरोधी हो गए। उन्होंने अपना राष्ट्रगीत सारे जहाँ से अच्छा बदलकर मुसलमानों के हक में परिवर्तित कर दिया। और अपना बदला लेने के लिए पाकिस्तान की योजना सर्वप्रथम तैयार कर ली। इकबाल शायर बड़ा था लेकिन अपने हिंदू खून को सँभाल न पाने के कारण और विद्रोह के कारण वह बहुत बेहूदा और पाखंडी आदमी बन गया। इस धर्मपरिवर्तित शायर की वजह से बहुत सारा खून-खराबा हुआ। वैसे जिन्ना भी अपने आपको तवारीख में अमर करना चाहता था, उसकी हवस किस कीमत पर पूरी हुई वह सबके सामने हैं।

लीन ने 2 जून, 1946 ई. केबीनेट मिशन को अस्वीकार किया और 'पाकिस्तान' की माँग के लिए सीधी कार्यवाही करने की धमकी दी। फलस्वरूप सांप्रदायिक दंगों का भूचाल आया। चीख पुकार और मारकाट से सारा माहौल आंतकित हुआ था। सांप्रदायिक दंगों में औरतों पर बहुत जुल्म किए गए। जैसा कि कश्मीरी पंडितों से कहा गया - पंडित यहाँ से भाग जाओ, पंडिताइन को छोड़ जाओ। विभाजन के दौरान कट्टर मुसलमानों को यह मंजूर था कि कोई मुसलमान मर्द हिंदू औरत को ब्याह ले किंतु कोई हिंदू मर्द मुसलमान औरत को नहीं ब्याह सकता था। इसीलिए समझौते के तहत ऐसी लुट की गई औरतों को तलाशा गया। उन्हें शरणार्थी कैंप में लाकर उन्हें उनके घरवालों को सौंप दिया गया। जिसमें बुढासिंह की जेनिब भी थी। इस विभाजन ने मानो दिलों को भी विभाजित किया था।

15 अगस्त, 1947 को भारत आजाद हो गया। विभाजन की दर्दनाक वीडा देकर नया देश पाकिस्तान बन गया। भारत के शांतिवादी नेताओं की आशा थी कि देश विभाजन से शांति और पारस्परिक मेलजोल को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत और पाकिस्तान दोनों शांति और पारस्परिक सद्भावना और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के कार्य में जुट जाएंगे। किंतु उनका यह स्वप्न पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान का जन्म ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था, जन्म के समय से ही पाकिस्तान भारत को अपना कट्टर शत्रु मानता रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहदों को लाशों ने तय किया था। जहाँ ज्यादा मुसलमान मरे थे वह भारत और जहाँ हिंदू और सीख मरे थे वहाँ पाकिस्तान था।

इस तरह कितने पाकिस्तान उपन्यास में कमलेश्वर ने सांप्रदायिकता का यथार्थ, औचित्यपूर्ण चित्रण से तक्वालीन युगीन मानसिकता को उजागर करने में सफलता पाई है।

संदर्भ सूची

1. जी.आर. सिंह/सी.डब्लू, डेविड, विश्व के प्रमुख धर्म, पृ. 1
2. शिवभानू सिंह, धर्म दर्शन का आलोचनात्मक अध्ययन, पृ.9
3. डॉ. एम.एम. लवानिया, भारत में सामाजिक समस्या, पृ. 272
4. वही, पृ. 272
5. वही, पृ. 274/75
6. वही, पृ. 273
7. वही, पृ. 275
8. वही, पृ. 25
9. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 25
10. वही, पृ. 74
11. वही, पृ. 72
12. वही, पृ. 199
13. डॉ. कालूराम शर्मा, भारतीय इतिहास की मूलधाराएँ, पृ. 75
14. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 195
15. वही, पृ. 162
16. अखिलेश जायसवाल, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृ. 77
17. कमलेश्वर, मध्यकालीन भारत का इतिहास, पृ. 161
18. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 162
19. वही, पृ. 172
20. वही, पृ. 165

21. वही, पृ. 164
22. वही, पृ. 166
23. डॉ. कालूराम शर्मा, भारतीय इतिहास की मूल-धाराएँ, पृ. 76
24. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 236/37
25. वही, पृ. 236
26. वही, पृ. 254
27. वही, पृ. 258
28. वही, पृ. 325
29. रसिक बिहारी मंजुल, भारत में इस्लाम, पृ. 152
30. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 111
31. वही, पृ. 325
32. डॉ. एस. एल. नागोरी, आखिल भारत का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक इतिहास, पृ. 186
33. वही, पृ. 186
34. वही, पृ. 187
35. कमलेश्वर, कितने पाकिस्तान, पृ. 55
36. वही, पृ. 323
37. वही, पृ. 37
38. वही, पृ. 53

